Rajasthan are being met by this particular Plant and when RAP-II also goes into the grid, we are sure, the needs of Rajasthan will be catered to. The only problem that may be faced after that, I fear, is the grid; unless the fluctuations can be looked after as they are in Maharashtra by the grid, we will have a lot of trippings, and this is the reason that the Atomic Plant has to stop generation; it is not that the Plant is not functioning properly.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: What was the total industrial loss and loss in agricultural production in the closed period?

SHRI C. P. N. SINGH: For that, I will require notice, because it is very difficult to calculate how much is the agricultural loss and how much is the industrial loss. I will try.

18.04 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: DISAPPROVAL OF NATIONAL SECURITY ORDINANCE AND NATIONAL SECURITY BILL—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume the discussion on the Statutory Resolution and the Bill.

Now, there is a proposal. I had a discussion with the Government, with the Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs. I told him that there were only four Members from the Opposition side to speak, and he said that I could give chances to all of them. He is very liberal. And he is prepared to withdraw the names of all ruling Party Members, numbering about 15. After this is over, the Minister will reply and then the mover will reply. Then we will see how far we will go and when we reach that stage, we will decide... (*Interruptions*) Shri Banatwalla.

You must be fair to me. The Opposition wanted that everybody should be given a chance and that has been accepted. I am giving you a chance.

PROF. MADHU DANDAVATE: That was not the proposal. I myself went to the Minister of Parliamentary Affairs and suggested that even if nobody from the ruling Party speaks, even then, because there are a large number of amendments and again the Home Minister has to speak and Mr. Vajpayee has to reply, the entire debate will go on till 10 or 11 O' clock. Therefore, our proposal is: fix up the time. After that, the Home Minister may reply and Mr. Vajpayee may better reply tomorrow and he is prepare to forgo the lunch and there will be no call attention tomorrow.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I was interrupted by the hon Member. Notwithstanding that, in the morning itself I made it clear to the Deputy Speaker that we are prepared to extend the time for the general discussion provided the Opposition co-operates in getting the Bill completed.... (*Interruptions*) Business Advisory Committee allotted 7 hours for all the three stages but now in the general discussion itself, we have taken 7½ hours. So, I would appeal to the hon. Members of the Opposition that they co-operate with the government to get through this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we have not fixed the time. All these four hon Members will speak. The hon. Minister will reply and Mr. Vajpayee will reply. We will see how far we will go.

Mr. Banatwalla... (*Interruptions*) Now you are getting more time, Mr. Banatwalla. He also belong to the Opposition and when a Member of the Opposition is speaking, please sit down.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I rise to oppose the National Security Bill....

MR DEPUTY-SPEAKER: How much time will you take?

SHRI G. M. BANATWALLA: We will see when we reach.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I agree. Let us see. That is the humour I like very much.

SHRI G. M. BANATWALLA: Sir, I rise to oppose the National Security Bill. I do not do so with any spirit of confrontation but with the objective of persuading the government to realise that it is mistaken in its notion that preventive detention is a panacea for all our ills. It is far from that. Let us be true to ourselves and let us confess that the National Security Bill is nothing short of a devaluation of democracy. It is a crime against freedom. I may be permitted to say that the National Security Bill is nothing but hypothecation of the entire people of India to the whims and fancies of an executive.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Sir, this National Security Bill is a cover to bypass the judicial process. If the argument is that judicial process is such that it is difficult to deal with the anti-social elements, then, my humble submission to the House and to the Government is that this argument is in order to mend the system and not to end the system.

Therefore, Sir, as I said, I have not risen in any spirit of confrontation. But, I have got up in order to persuade the Government to realise the fallacy and to realise that it is in an ivory tower if it things that the Preventive Detention is a panacea, as I said, for all ills. We can understand if there would have been conditions of internal insurrection of external aggression. But, none of these two conditions obtains. That is also not the plea taken in the statement of objects and reasons. Sir, the Government says that it wants to deal with the law and order situation with firmness and determination. I, on my part, am one with the Government in this particular objective. I must also concede that no right-thinking individual can justifiably deny that there is much to worry about the situation as it exists to-day, It must be confessed by all of us that there is violence in the air. What is needed is fairness; what is needed is determination to deal with it.

But, Sir, we have also to take the whole picture, we have to consider the picture in its totality. While violence exists in the air, there is much to worry about the law and order situation into the details of which I do not want to go at this late stage, we have, as I said, to take the totality of the picture into consideration. We have to see the type and nature of the machinery, the executive machinery, the administrative machinery that we have and to whom we are giving this unbridled power of preventive detention.

Sir, to-day it is an admitted fact that political interference holds the administration in a firm grip. There is political interference and that cannot be denied. If that is the situation, then, this administration and the executive cannot be given the right of unbridled powers. The Police Commission issued a questionnaire to which as many as 724 replies were receive mostly from the police officers, administrators and judicial officers.

Sir, you will be surprised to know that the respondents even from the police officials admitted that the police handling of communal riots had been ineffective and the principal reason given was political interference. I will also like to draw the attention of the House and the Government to what we hear from Mr. Justice Krishna Iyer's Treatise in 'Crimonology, Law and Social Change'. I quote:

> "Indeed, unlimited power for questionable preventive detention is the direct route to various vices including bribery."

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: They are not interested to hear these.

SHRI G. M. BANATWALLA: He further says:—

> 'This power is also used to suppress the Opposition, Silence Protest movements and bypass judicial processes'.

[Shri C. M. Banatwalla]

Sir, this is the observation of no less a person than Shri V.R. Krishna Iyer. I need hardly take the time of the House by describing the type of the administrative and executive framework that we have.

Sir, we talk about the police and the police commissioner is being given wide powers under the Bill. Today the question is who is going to police the policemen? When that is the situation, unbrideled powers are being given. Even the hon. Home Minister himself, while moving his motion for the consideration of the National Security Bill, said that there has been infilteration of communal elements into the police and adminstrative machinery. He admitted that such elements have got respectability during the past 2-3 years and we know that that is the situation. We know what a biased attitude has been taken by the administration under many circumstances. During the discussion on communal riots here in this House, I had given umpteen examples of how police officers themselves taking biased attitude were circulating false reports rendering the entire Muslim community a suspect in the eyes of the entire nation. Now, it is this biased administrative machinery which is sought to be given these draconian powers.

Sir, even now in Moradabad the police has unleased a region of terror. Large scale arrests of even the innocents are going on. Even those who are working there to provide succour to the victims of the riots have been arrested. Lawyers of these who were prosecuted have also been detained. Such is the gross misuse of the national security provisions which is staring in our eyes. When so, grim is the reality of the situation I plead with the government once again to rethink about the arbitrary powers that are sought to be assumed.

Sir, we are told that these powers are needed in order to deal with the law and order situation. This is just an excuse-an excuse of insufficiency of laws in order to conceal the dismal failure. There are sufficient provisions of law to deal with the situation. What is wanted is sincerity, impartiality and will to enforce these provisions of law as they exist today. When I said preventive detention is not a panacea of all ills, let me point out that the preventive detention has been there all along since Independence except for two to three years. But, despite the fact that Preventive Detention measure, in some form or other, was there, on the statute-book, yet, the law and order situation has continued to deteriorate. Despite the fact that there were provisions of preventive Detention, the fact remains, riots became more intense and more destructive.

Between 1954 and 1960 when Preventive Detention measure was there, the number of people killed according to the official figure was 316, in 1967 alone, in that one year, as many as 301 people were killed. With all the Preventive Detention laws which you had in the statute book this is the situation. On the contrary, as I said, the minorities who did not have the required political interference, who did not have the required political pressure, upon the administration, have suffered multi-pronged attacks from communal orgy and riot and later the police action against them under such provisions....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please come to your last point....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Make it a long one, it does not matter...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should remember that the hon. Member himself has been telling me that we should conclude it in time..

SHRI G. M. BANATWALLA: What is wanted today is a sincerity of purpose and will. For example I would like to ask this: What action is being taken against these police officers who circulated the false theory..

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have said that in connection with Moradabad incidents. Why do you repeat it? Come to the last point.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: How he can come to the last point before the last-but-one point?

SHRI G. M. BANATWALLA: What action was taken against the police officers in Lucknow who circulated the false report to the PTI saying that *25,000 bombs were recovered from a* factory in a mosque? It was later denied by the Home Minister of U.P. himself. There was an unstarred question which came up before the House and the hon. Minister said that the matter is being investigated. There are several suggestions to deal with communal riot. I am taking the communal riot as one instance. I refer to a suggestion made by the All India Congress Committee Panel on Minorities in 1973. I quote:

"In case a riot continues for more than 12 hours the immediate local officers should be taken to task. If It is not controlled within 24 hours the Home Secretary, the Chief Secretary and the Inspector General of Police should be held responsible. And, if the violence goes beyond 48 hours, the responsibility must be placed squarely on the State Government."

Sir, these were the suggestions of the party which is in power today. They wanted these things to deal with law and order situation, with firmness and determination. Now, I present to them what is their own decision. I ask them: Where is the firmness and where is the determination in the matter of implementation of this very decision of yours?

Sir, I would conclude in deference to your restlessness. I have moved a motion that the Bill may be circulated for eliciting public opinion thereon. I commend my motion for the acceptance of the honourable House.

SHRI SOMNATH CHATERJEE: We will support you.

SHRI G. M. BANATWALLA: Thank you, Sir, the party in power has got a mandate—the mandate to come to power, the mandate to implement its various policies. But I must say that this mandate was given by the people on one very important basis.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Negative vote..

SHRI G. M. BANATWALLA: The people were forsaken by the Janata party. The people voted for you on the solid understanding that the Congress (i) will not resort to the imposition of emergency...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: For a thounsand years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You also got elected because of that?

SHRI G. M. BANATWALLA: On that understanding they elected you, the understanding that Congress (I) *will not resort to emergency methods* and throttle democracy. Therefore this mandate was given to Congress (I). Therefore, I say, this Bill represents a gross misuse, a sheer abuse of the mandate that has been given to the party in power. It is, to say, the least, betrayal of the people; betrayal of the masses; and therefore, far that particular purpose, I have moved my motion saying 'Let the Bill go before the people'.

I assure you that the entire nation will rise like one man to reject this particular Bil. Sir, let not the Home Minister now rise to tell me that while the National Security Ordinance was in existence there were

two or three by-elections here and there and those bye-election represent a referendum of the people in favour of bringing forward this Bill. Let there be some sense of proportion. Let not some by-elections here and there be equated with the referendum. I ask this House to adopt my Motion to refer the Bill to elicit public opinion. Let us all go to the people. Let the will of the people prevail.

SHRI M. SATYANARYAN RAO (Krimnagar): Sir, how much time you have allotted further? When are you going to take voting of this Bill?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are only 3 speakers more.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): Sir, there must be some precise understanding as to when the voting will take place, when the debate is going to end. This has to be devided first.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there are only 3 more speakers. Then the hon. Minister will reply. How much time he is going to take I do not know. Then he has also to reply.

to the queries. I think we will be able to complete everything by 9 O'clock.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: What about the amendments?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are only 4 amendments which have been moved.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): This should be passed at dead of night because dark things are better done in the dark.

*SHRI C. CHINNASWAMY (Gobichettipalyan): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of my party the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. I wish to say a few words in support of the National Security Bill, 1980.

In Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Karnataka the hindus and the muslims have been living for ages in amity and understanding: But in the northern States the hindu-muslim riots have become the order of the day. For the past four months, in Moradabad the hindu-muslim conflagration is continuing, in spite of the Central Reserve Police, the Army and the Armed Constabulary of the U.P. State. In Assam. which produces 40 per cent of the tea produced in the country and 20 per cent of the oil produced in the country, the students agitation has not subsided. The Assam's economy is in doldrums because the commodities like the oil, tea, plywood etc. are not being allowed to be taken outside the State. This has also affected the national economy to a great extent. The other day I came across a news item that in 1979-80 the tax evasion was to the tune of about Rs. 300 crores, as quoted by the reliable official sources. You can imagine the pernicious effect that this will have on the country's fiscal policy. Because of the activities of hoarders, smugglers, black-marketeers, the essential commodities have become scarce. Their prices are soaring sky-high. In some places sugar per kg. costs Rs. 15 to 20. This law should end the nefarious activities of these anti-social and anti-national elements in our country.

During the Parliament elections, the people of Tamil Nadu exercised their franchise in favour of D.M.K. and Congress (I) candidates. In other words, at the national level they wanted Shrimati Indira Gandhi to be at the helm of affairs. After six months, the very same people have reposed their faith in the leadership of Puratchi Thalaivar Thiru M.

* The original speech was delivered in Tamil.

[Shri C. Chinnaswamy]

G. Ramachandran so far as the State administration is concerned. This goes to prove the political vivacity of the people of Tamil Nadu. Because of the defeat in the State Assembly elections, the Opposition Parties are instigating the farmers, the village officers etc. against the Government of Tamil Nadu which is committed to the welfare of the people. This shows the vengefulness of the opposition parties. This went even to the extent of a knife-attack on the person of our Chief Minister. This should be condemned. The Opposition Parties seem to keen to deteriorate the law and order situation in Tamil Nadu.

The other day, Shri Thazhai Karunanidhi, my hon. friend belonging to the D.M.K. stated here that those farmers who refused to pay the increased electricity rates have been imprisoned. This is far from the truth. Thiru M.G.R. invited the representatives of the farmers for a discussion, as a result of which the farmers can pay the arrears in instalments along with the current month's dues. This has been agreed by the representatives of farmers. No emergency provisions have been used for detaining anyone of them. It will never be used against them in future also Shri Karunanidhi in his speech also referred to the complicity of AIADMK Ministers in the selection of candidates for admission in the Coimbatore Agricultural University and Vice-Chancellor has not been allowed to function independently. I would strongly refute this unfounded allegation, because no Minister of AIADMK Government is involved in this. In AIADMK Government, merit is the primary consideration in respect of admissions for any college.

In democracy the Opposition and the Ruling Party are the two sides of coin. If the opposition parties either indulge in or encourages agitations, the people are the victims. It is said that in the communal conflicts from the day of our independence we have lost several hundreds crores of worth property, besides valuable human lives in hundreds. With the prevalence of law and order within the country. we will be able to thwart any external threat to the nation's security. Whichever party may be in power in the States, whether it is the Congress Party or the Opposition Party, if that Party endeavours endlessly to maintain law and order within the State, the Centre should extend to the State its whole-hearted support.

My hon. friend Shri C. T. Dhandapani expressed his apprehension that in Tamil Nadu this law would be used against the Opposition Parties. I would like to know whether his leader Kalaignar Karunanidhi supports this Bill or not. I would like to assure him that this law would be used by the Tamil Nadu Government to arrest the hoarders, blackmarketers, smugglers, tax-dodgers and other anti-social elements whose activities undermine the economic efforts of the State Government and never against the political opponents. With these words, I extend my support to this Bill.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I oppose the Bill because the Bill provides for draconian power and the Bill provides for preventive detention. As as matter of principle, I am opposed to preventive detention, as such. In this connection let us remember that the right of the Government to legislate for the preventive detention is derived from Article 22(4) of the Constitution. Now. it is for the House and the entire people to understand that the time has come then we should think as to whether Article 22(4) in the Constitution should be removed from the Constitution of our country. Because of the existence of Article 22 (4), the Legislature and the Parliament derive the right for legislating for preventive detention.

Sir, preventive detention is, on principle, not against democracy. So

far as this Bill is concerned, as I have mentioned earlier, and it has to be once again reminded that the Bill provides for an indefinite period of detention because there is a provision in the Bill that there can be fresh order of detention even after serving the period of detention as earlier considered by the Advisory Board. A person who has already undergone the detention, can be again detained and without showing any further evidence or any grounds for that purpose. No grounds are necessary for preventive detention. So, a person can be detained for an indefinite period of time. There is a provision in the Bill that grounds may not be shown or disclosed. if the Executive—and that is the point —is of the opinion that the grounds may not be shown in public interest. From this, you can understand what kind of a pernicious Bill this is.

Under this clause, you can detain a person for all times to come. Suppose he is detained for 3 months. He comes out, and you issue a fresh order. He is again detained. And you are not to show any reason for that. What are the faults of the person for which he is being detained—you can very well withhold this information, *i.e.* that also in public interest. Whether is is in public interest or not, the court has nothing to do in the matter of determining it. The detainee has nothing to do, and you are also not concerned with it. It is the Executive which will determine as to whether the grounds can be disclosed in the public interest.

So, what more draconian law can there be than this? Against whom is this draconian measure aimed at? Let us be very clear. I am glad many Members opposite have made the intention clear. The intention has been made clear, viz. that it will be applied against the Opposition. against the popular, democratic forces in order to silence the voice of the dissidents and popular and democratic movements.

The Chief Minister of U.P. is a responsible person, and he is also in authority. The cane-growers there are agitating, demanding that they should be given Rs. 30|- per quintal. Is it an anti-social movement? Is it an anti-social activity? Does not a grower in our country got the right to demand a remunerative price for the produce? It has been said that this Bill, and this power will be applied against those who are involved in anti-social activity. This will be applied only against those who disturb communal harmony. This power will be applied against those who are involved in social unrest and industrial unrest.

The ambit is very wide. The power can be applied against the trade union worker on the ground that they indulge in industrial unrest: that is in the Statement of Objects and Reasons. Industrial unrest will be there; there is no question of ignoring it; industrial unrest is there and it will be there because of your anti-labour and anti-working class policy. If you pursue anti-working class policy, if you allow employers to exploit the workers, it is the inherent right of the workers to rise in protest. It is a constitutional right and it cannot be taken away. What do you propose to do by this Bill? You want to take away that right and silence their movement; you want to see that the workers agitations are not build up.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nobody in the world can silence the working class... (*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: I repeat what you say; the working class is rising; they cannot be smothered; their movement cannot be silenced by any government, whatever might be its strength, its power whatever might be its power enshrined or incorporated in this Bill... (*Interrup-*

[Shri Chitta Basu]

tions) I refer to what happens in the ruling party. Mr. Stephen should know. In the AICC(I) meeting held recently some representatives raised the point that emergency should be promulgated. It was stated that there was necessity for a presidential system of government. Mr. Stephen was there the Prime Minister was there; the Members of the Cabinet were there. They did not protest against that. They felt that this is the intention which is being propagated openly in the platform of the AICC.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: AICC(I).

SHRI CHITTA BASU: Yes, AICC (I); there is nothing but (I), why worry. They say that this is on the basis of the mandate. I would be happy if there is an AICC(Z). This Bill is the harbinger of the days to come.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am trying to silence you.

SHRI CHITTA BASU: I think you will not; I hope you will not treat me as a detenu in the prison-house. Therefore, the intention is clear. If the intentions have been made clear by you, we should also make our intion clear. Your intention is based on sycophancy, on the display of your loyalty to an individual. Our intention is based on ideology, on our courage and conviction and determination to fight any kind of oppression that may come from you.

My second point is this. It has been assured that it will not be misused.

Sir, I am glad that Mr. Stephen in his eloquence has owned the responsibility for Emergency. I hope he would publicly own... (*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He will lose his job for this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No personal remarks please. (*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: I hope he would own responsibility for the misuse of MISA during the Emergecy.

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: Sir, Shri Sushil Kumar, a high police officer of Delhi has issued 67 detention orders during the period June 25 to 26, 1975. This was done merely on the basis of a list of names. (*Interruptions*)

AN. HON. MEMBER: This is old story.

SHRI CHITTA BASU: They were persons required to be detained unler MISA

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER He is the mover of the motion, let him complete.

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: He was the Deputy Inspector General of Police. There was no authority for him, except this list of people at the time of the detention order. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Vajpayee has dealt with this.

SHRI CHITTA BASU: MISA was misused. It is a fact that assurances were given from that side.

SHR SOMNATH CHATTERJEE: They are saying it every day.

(*Interruptions*)

SHRI CHITTA BASU: Sir, it is going to be misused, and it will be misused. And it will be abused to subserve the political ends of the ruling party. Therefore, Sir, it is a dictatorial measure, it is undemocratic, it is reprehensible and it is to be rejected log, stock and barrel.

MR DEPUTY-SPEAKER: Now Shr Chandra Pal Singh will speak. He is the last speaker. Only for six or seven minutes he will speak.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has got the balance time. Then the Minister will reply.

श्री चन्द्र पाल सिंह (ग्रमरोहा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, उस का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुग्रा हूं ।

इसके साथ ही साथ जैसा ग्राप ने कह दिया है कि मैं ग्रन्तिम वक्ता हूं ग्रौर इस के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क दोनों पक्षों को ग्रच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं ग्रपने को माननीय वाजपेयी जी का जो विचार है, जो उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है उससे पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं । इस के साथ साथ मैं कुछ बातों की ग्रोर ग्राप का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं । वैसे लगता तो यह है कि हम शान्ति व्यवस्था के नाम पर देश को ग्रागे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन इस का जो कटु ग्रनुभव हम लोगों को इमरजेन्सी पीरियड का हुग्रा है ग्रौर मैं क्योंकि खुद भुक्तभोगी हूं इसलिए इस के बारे में यह कह सकता हूं कि इस में सत्ता का खुला दुरुपयोग होता है ग्रौर पुलिस-राज बन जाता है । एक सिपाही के हाथ में बहुत बड़े ग्रादमी की हैसियत पहुंच जाती है । हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी यहां बैठे हुए हैं ग्रौर हमारे जो माननीय सदस्य मुजफ्फर साहब हैं, उन्होंने मुरादाबाद के बारे में यहां पर इशारा किया था कि मुरादाबाद में लाखों रुपया पोस्ट ग्राफिस के द्वारा पुलिस मैनों के घर गया । वे यहां पर इस तरह के लम्बे-चौड़े ग्राश्वासन देते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ग्राप की सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा न हो क्योंकि ग्राप 30 साल से शासन पर बैठे हुए हैं । हम लोग तो दो, तीन साल के लिए बीच में ग्राए थे ग्रौर चले गए लेकिन ग्राप लोग बड़े जोर-शोर से ज्यादा शक्तियां ग्रपने हाथों में लेते रहे हैं ग्रौर मैं यह बता दूं कि यह चीज ग्राप लोगों की कमजोरी का सूचक है । जब ज्यादा शक्ति चाहिए, तो ग्राप लोग खबरदार हों, होशियार हों कि इस का दुरुपयोग न हो । ग्राप जो यह सारी ताकत ले रहे हैं तो चारों तरफ ग्राप देखिये क्या हो रहा है । ग्राप कहते हैं कि किसानों को उकसाया जा रहा है ग्रौर कुछ लोग कह रहे थे कि गैर-किसान किसानों को उकसा रहे हैं । गैर-किसान किसानों को कैसे उकसायेगा । वह तो ग्राप देख रहे हैं, वह तो ग्राप को पता है । (**व्यवधान**) पहली रैली तो ग्राप ने देख ली है । रैली फिर भी होगी लेकिन रैली का रूप बदल जाएगा ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से यही ग्राग्रह है कि यह जो काला कानून ग्राप ला रहे है ग्रौर इस से पुलिस की ताकत का ग्राप विस्तार करना चाहते हैं, सारी शक्ति ग्राप उसको देना चाहते हैं इस से ग्राप की बदनियती का पता चलता है । यह पता चलता है कि ग्राप का मन साफ नहीं है । जो विरोधी शक्तिमान बन रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, किसानों में काम करना चाहते हैं, मजदूर ग्रौर विद्यार्थियों में काम करना चाहते हैं, उनको दबाने का ग्राप ने यह तरीका ग्रख्तियार किया है । ग्राप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उनको दबाना चाहते हैं ।

ग्राप को इस पर विचार करना चाहिए ग्रौर यह देखना चाहिए कि बाबू जगजीवन राम जी भी एमर्जेंसी कैसे लाये थे, वे भी सोच समझ कर लाये थे । ग्राप को इस बारे में सोचना

(श्री बालपाल सिंह)

चाहिए । क्या पता कल को आपका भी क्या भविष्य बने ?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण बिल पर तीन दिन से विचार होता रहा है । और श्रीमान् वाजपेयी जी के रिजोल्युशन पर भी साथ-साथ विचार होता रहा है । मुझे इस बात की खुशी है कि हर ख्यालात के मेम्बर साहिबान ने अपने-अपने विचार खुल कर रखे । मैं समझता हूं कि जब मैंने कंसीडरेशन के लिए बिल इंट्रोड्यूज किया था उस समय मैंने बिल का मकसद क्या है और उस की जस्टिफिकेशन में विस्तार पूर्वक कह दिया था । मैं उन बातों को दुबारा दोहराना नहीं चाहता ।

हमारी तरफ से हमारे दोस्त श्री भगत जी, श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री पाणीग्रही, श्री चिरंजी लाल शर्मा और मेरे साथी स्टीफन और श्री साठे जी ने भी इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, जब हमने सब्र और संतोष के साथ इनको सुना और जो चीज़ इनके मन में आयी वह कह दी तब जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर उसको सुनने की शक्ति इनमें न हो तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन को डर और खौफ है । मुझे समझ नहीं आता कि इनको इतना डर और खौफ क्यों है ? हम तो बहुत शराफत और संजीदगी से काम कर रहे हैं ।

आज भी हमारे दोस्त श्री हरीश रावत, जगन्नाथ राव, साठे जी, सुखाड़िया जी और बहुत से मेरे दोस्त बोले । अगर मैं सब का नाम लूं तो बहुत देर लगेगी । उन सब ने काफी चीजों पर प्रकाश डाला । जो एतराज अपोजिशन की तरफ से आये थे उनका जवाब भी उन्होंने दे दिया । मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे इस हाउस के निष्पक्ष मेम्बर जो किसी भी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं और जो इस कांस्टीट्युशन के बनाने वालों में से हैं, श्री फ्रैंक एंथनी उन्होंने बड़े सुलझे हुए तरीके से संविधान के निशाने को समझ कर और वजनदार दलीलों के साथ एक निष्पक्ष रवैया रखते हुए सदन को बताया कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है । उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किन वजूहात के कारण हमारे संविधान के निर्माता ने यह प्रावीज़न रखा था, जिससे पार्लियामेंट को अधिकार था कि वह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे कानून बना सके ।

PROF. MADHU DANDAVATE: A part of his speech was expunged.

श्री जैल सिंह : उनकी स्पीच का कोई पार्ट एक्सपंज भी हो गया हो तब भी जो कीमती विचार हैं वे मिटाये नहीं जा सकते ।

उस रोज मैंने कहा था कि अनारेबल मैम्बर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा है, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मिस्टर स्टीफन की तकरीर के बाद उनके जवाब की जरूरत नहीं रही, मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि वे एक इंटरनेशनल डिप्लोमैट भी हैं, हमारे भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं, उनकी जो शैली है, जुबान की, उसकी मैं तारीफ करता

हूं बेशक उसमें कोई दलील हो न हो, मैं उनकी तकरीर सुन कर यह ख्याल आया कि हमारे हिन्दुस्तान के एक शायर ने कहा है :—

इकबाल बड़ा उपदेशक, है, मन बातों से
मोह लेता है,
गफ्तार का गाजी बन तो गया,
किरदार का गाजी बन न सका,
मस्जिद तो बना ली शब भर में
ईमान की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी था,
बरसों में नमा जी बन न सका।

इसी सदन में वाजपेयी जी 1977 में इस तरह बैठे हुए थे और इसी तरह का बिल था, जनता पार्टी शासन का बिल भी इसी तरह का था, लेकिन इसमें इतनी शक्ति जरूर थी कि सी. आर. पी. सी. को अमैन्ड करके मीसा को परमानैन्टली लाना चाहते थे, हमारा बिल आरजी तौर का है। पहले कैबिनेट में यह जनता पार्टी का अमेंडमैन्ट बिल आया उसमें वाजपेयी जी, वर्मा जी, मधु दन्डवते जी बैठे थे, इनके सभी मिनिस्टरों ने बडे जोर से समर्थन किया। मैं मधु दन्डवते जी को दाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने इतना ख्याल रखा कि उन्हे इस बिल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कोई और साथी बोल ले, वे नहीं बोले, मगर मैं यह समझता हूं कि कोई पर्सनिलिटी उभरती है तो उसके साथ कौम ....

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इन्ट्रोडक्शन के समय मैंने इसका विरोध किया था।

श्री जैल सिंह : हो सकता है, इन्ट्रोडक्शन के समय आपने कहा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि उस वक्त भी आपने सिर्फ रस्म ही पूरी की थी।

19.00 hrs.

डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो विरोधी और ट्रेजरी बैंचों की बात है, यह तो कायदे-कानून को पूरा करके की बात है। लेकिन जब कोई भी आदमी सोचे कि किसी की इज्जत बढ़ती है चाहे वह विरोधी हो या ट्रेजरी बैंच पर बैठा हो तो उसमे कौम की इज्जत बढ़ती है। मैं खुश था। मेरे मन में बड़ा फक्र था कि वाजपेयी जी हकीकत पसन्द हैं। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम किया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियों को वे आगे ले गये। काफी उनका योगदान रहा। लेकिन एक बार पता नहीं वह चीन में सोये हुए थे, वहां बैठे थे, कि चीन की सरकार ने एक कम्युनिस्ट मुल्क पर हमला कर दिया और उनको अपना टूर प्रोग्राम बीच में छोड़कर वापिस आना पड़ा। मैं किसी बुरी भावना से नहीं कह रहा हूं। आदमी गलती कर सकता है। उनका अंदाजा था कि हमारी अपने पड़ोसी से दोस्ती हो जायेगी। लेकिन वह दोस्ती की भावना उस में नहीं आई होगी। क्या बात है, मैं इसको छोड़ता हूं। एक बात बड़े अदब से पूछना चाहता हूं। जब यह बिल आया था, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था तब कैबिनेट में इन्होंने हां की थी। यह सदन में आ गया। होम मिनिस्टर की तकरीर स्टीफन जी ने पढ़कर सुना दी। प्राइम मिनिस्टर की इन्होंने सुनादी। यहां तक ये पहुंच गये थे। इतनी दूर तक पहुंचने के बाद मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि क्या उस वक्त वे सोये हुए थे या अब जब रेजोलूशन लाये हैं, तब यह सोये हुए थे। एक बार तो जरूर सोये होंगे। हम रात को भी सोते हैं और दिन में भी कभी-कभी सोते हैं। लेकिन काम के वक्त हम नहीं सोते। वाजपेयी जी के

[श्री जैल सिंह]

मैं पूछना चाहता हूं और उनके सहयोगियों से भी कि उस बिल को लाने के वक्त ये सोए हुए थे या इस रेजुलेशन को लाने के वक्त ? या तो ये उस वक्त गलती पर थे या फिर अब गलती पर हैं। बड़प्पन तो इसमें था कि कह देते कि हम गलती करने लगे थे लेकिन हमने पार्टी को बचाने के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए दुरुस्त रास्ता अख्त्यार कर लिया था। हमारी वह गलती थी। अगर वह इस को कह देते तब तो मैं समझता कि अब आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप गलती कर रहे हैं। उस वक्त आप ठीक थे जनता भी यही समझेगी कि उस वक्त आप पर जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी जब होती है तो आदमी जो काम करता है उस में वह गलती कम करता है। इस वास्ते उस वक्त की इनकी बात दुरुस्त थी। मैं बडे अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आप का प्रस्ताव पास तो होगा नहीं तब चर्चा करने का क्या फायदा होगा ? बजाय इनके कोई और इसको पेश कर देता, इनको या और तीन चार साथियों को यह शोभा नहीं देता था कि वे खुद इस काम को करते क्योंकि ये खुद यही काम कर चुके थे इन को दिलेरी से काम लेना चाहिए था। अब तो आपने महात्मा गांधी के समाजवाद को भी मान लिया है? महात्मा जी कहते थे कि गलती मत करो और गलती हो जाये तो मान जाओ। उन्होंने एक बार सत्याग्रह भी वापिस ले लिया था। मैं चाहता हूं कि अब वह इस बात का एहसास करे और इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। इससे उनकी बहुत बड़ाई होगी।

अपोजिशन के दोस्तों ने कहा कि दस महीने में सरकार का दावा है कि उसने काफी सुधार किया है और काफी सुधार कर लिया है तो फिर ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत थी। जब हमने सुधार कर लिया है तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ और जब हम बिल लाये हैं तो कहते हैं कि हो गया है। 11 महीने के समय में जो कुछ हम कर सकते थे किया मेरा तो यह ख्याल है :

हमां मर्द बाशद मुखन्बमर,

न शिकामे दिगर दर्द हाने दिगर

मर्द वह चाहिए जो अपनी जुबान से और दिल से एक बात करे और उससे मुन्किर न हों। मैं नहीं चाहता कि मैं पिछले तीन साल के इनके राज्य की कोई चर्चा करूं और उसका फायदा उठाऊं। लेकिन हकीकत तो हकीकत रहती है। उस वक्त इन्होंने बहुत डरावलपन दिखाया, कमजोरी दिखाई कि वह बिल ले कर नहीं आये, आगे नहीं बढ़े। यह इस बिल को न लाने के कारण जो बुराइयां पैदा हुई हैं वह इनके जमाने में हुई, हम उनको दबाना चाहते हैं, और कुछ हद तक दबाया है, लेकिन अभी तक मिटी नहीं हैं। इस लिए यह बिल हम किसके हित में लायें हैं, डैमोक्रेसी, गरीबों, मजदूरों और किसानों, बल्कि यों कहिए कि हिन्दुस्तान के लोगों के हित में यह बिल हम ले कर आये हैं।

मैं माननीय मधु दण्डवते जी का मशकूर हूं, दाद देने के लिए में नहीं कहता कैसे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस (आई) के मैम्बरों ने थपकी लगायी वहां इन्होंने ने भी लगादी। डिप्टी स्पीकर साहब, राजनीति और मजहब की बातें अलहदा होती हैं हैं। नम्रता और अहंकार से रहित होती हैं। रहम दिल होना यह इंसान की बहुत अच्छी खुशी है, लेकिन हुकमरान

को साफ करना जरूरी है । अगर वह बदमाशों को नहीं दबा सकते हैं और शरीफ को बचा नहीं सकते, ऐसी हुकुमत लोगों के भले का कोई काम नहीं कर सकती । और डिप्टी स्पीकर साहब, यह दुनिया का कायदा है कि अक्ल से, हिम्मत से और दिलेरी से राज हो सकता है । अकेले अक्ल मन्द भी राज नहीं कर सकता, बेवकूफ भी राज नहीं कर सकता । अगर चालाकी से राज होता तो जंगल का राजा लोमडी होती । जंगल का राजा शेर होता है क्योंकि वह बहादुर होता है, डरता नहीं है । यह हुकूमत निडर है, इस हकूमत में बल और ताकत है और यह बिल लेकर आप के सामने आयी है ।.....

श्री नारायण चौबे (मिनदापुर) : क्या बहादुर है यह सरकार :? कमजोर है । बहादुर कहां है ।...(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Choubey, when you have the right to speak with as much vehemence as possible, he has also got a right to speak like that. (*Interruptions*). He has tolerated your attacks. When he attacks you, you will have to tolerate.

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: The only question is whether India is being ruled by tigers or human beings. Our Home Minister is telling that India is ruled by tigers.

श्री जैल सिंह : मेरा भाव किसी को डरा कहने का नहीं है, मैंने तो उदाहरण के रूप में कहा है ।

माननीय रामावतार शास्त्री जी की बात समझ में नहीं आयी । यह अपने दोस्तों को समझायें । वैसा न कर के खुद साथ-साथ खड़े हो जाते हैं । इतना सुन्दर नाम है इनका रामावतार । यह तो कोई रावणावतार कर सकता है। जो आप करते हैं । और फ्रीडम फाइटर हैं और बहुत समझे हुए पार्लियामैंटेरियन हैं ।

यह भी कहा गया कि सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसा बिल ले कर आयी है, और यह बिल संविधान के मंशा के खिलाफ है, और यह बिल डैमोक्रेसी के खिलाफ है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उन दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि डैमोक्रेसी का मतलब यह है कि हर आदमी अपने विचार, अपने ख्यालात और अपने अकीदे लोगो के सामने पहुंचा सके । और उसको कोई ताकतवर आदमी रोक नहीं सकेगा । मगर डैमोक्रेसी का उसूल यह नहीं है कि जो सैक्सन सोसायटी का ताकत में हो, वह खामोश लोगों की बात सुनने से इंकार कर दे और उनको कहे कि हमारे लोगों के साथ अपने हाथ उठाओ अगर हाथ नहीं उठाते, तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, और सरकार उन गरीबों को बचा न सके, उस से डैमोक्रेसी की जड़े कट जायेंगीं ।

बागपत की बात यहां आयी । पूरे 30 साल की आजादी के बाद भी बागपत में हरिजनों को किसी तरफ भी वोट डालने नहीं दिया गया । क्या हमारे दोस्त यह समझते हैं कि सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहेगी ? यह कहां की डैमोक्रेसी है कि किसी को घेराव में ले लें और कहें कि तुम्हें नहीं जाने देते, खाना नहीं खाने देते, बैठने नहीं देते ? यह क्या राय बनी ? अगर हम आपकी राय के नही तो हमें नहीं जाने देंगे, यह कहां की डैमोक्रेसी है ? अब 4 गुंडे किसी की दुकान पर चले जायें और उस शरीफ आदमी को कहें कि 10 हजार

[श्री जैल सिंह]

रुपये दे दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान लूटेंगे, ऐसी हालत में अगर उनकी रक्षा नहीं की जाती, उनको प्रोटेशन नहीं दी जाती है, तो डैमोक्रेसी कसे चलेगी?

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो एक्ट बनने वाला है, यह शरीफ आदमियों के पक्ष में है, उनको प्रोटेक्शन देने वाला है और हिन्दुस्तान के 95 परसेंट लोग इस बिल के पक्ष में हैं (व्यवधान)

19.12 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : लोगों की राय जानने का बैरोमीटर क्या होगा? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : आप जो मर्जी चाहें कहें, यह तो एक घंटे या डढ़ घंटे के बाद पता चल जायेगा। (व्यवधान) आप बैठे, बैठे ही बोलते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यही कहते हैं कि डेढ़ घंटे के बाद पता चल जायेगा। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, अव्वल तो इन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, अगर बोलते भी हैं, तो 3, 4 क्यों इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, ये सलाह कर के एक-एक बोलें। (व्यवधान) आगे आ जाइये, तब बताइये, क्या कहना है। आप की बात सुनाई ही नहीं देती। (व्यवधान) यह डैमोक्रेसी की लड़ाई बाजू मारने से या सर मारने से नहीं होती। यह तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। (व्यवधान) मैंने सुना नहीं, आप क्या कहते हैं? (व्यवधान)

मैं तो उन आदमियों में से हूं, जो किसी से डरते नहीं हैं और किसी को डरते नहीं हैं। किसी को डराने वाला और किसी से डरने वाला बुजदिल होता है। (व्यवधान)

मैंने बड़े ही सब्र और तहम्मुल से, शान्ति से, इनकी बातें सुनी हैं। अब वे हमारी बातें शान्ति से सुनें। अभी क्लाज-बाई-क्लाज डिसकशन होना है। माननीय सदस्य उसमें जो कुछ कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं। मैंने यह दावा किया है कि आवाम की सपोर्ट इस बिल के साथ है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि ऐसा नहीं है। इसकी जजमैंट बाद में हो जायेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह हाउस 552 सदस्यों का है या 542 सदस्यों का?

अध्यक्ष महोदय : 544।

श्री जैल सिंह : 544 का है। इस हाउस में जनता पार्टी, जिसके अब चार टुकड़े हैं, 8 परसेंट हैं ... (व्यवधान)

SHRI C. M. STEPHEN: This is unprecendented. There are certain conventions that we follow in the House. When the Leader of the House speaks, we give a silent hearing; when the Leader of the Opposition speaks, we give a silent hearing. When the Home Minister replies to a debate, it has been the convention that we give a silent hearing. This is being violated. Mr. Vajpayee will be speaking. Are we to behave in the same manner?

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को अपील करता हूं कि यह प्रथा बिलकुल ठीक नहीं है। अपका अपना मत है। आपने अपना मत व्यक्त किया है। आपको पूरा अधिकार है। लेकिन वह अधिकार तब रहता है, जब आप किसी दूसरे के अधिकार को भी मान्यता देते हैं। उनके

आप विचार हैं, उनको कहने दीजिए। आप अपने विचार प्रकट कीजिए। आप दूसरों को डिक्टेट नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप फिर बोल रहे हैं। Let him reply. You have had your say. This is not the way. You are interrupting all the time. This is not the decorum. I do not allow it; I do not like it.

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने दावा किया है। उन्होंने भी दावा किया है। जो इस हाउस में केवल 0.3 परसेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो वह कहते हैं, वह जनता की आवाज है। मैंने उस वक्त किसी को नहीं टोका। मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि जनता की आवाज यह है। उनके मैम्बर हाउस में कितने हैं? — तीन मैम्बर हैं। परसेंटज क्या बनती है 0.05। ये सब मिल कर भी मैजोरिटी में नहीं होते हैं। लेकिन सवाल मैजोरिटी और माइनारिटी का नहीं है। इनका हक है कि ये अपनी बात कहें, लेकिन अगर मैं उसका कान्ट्राडिक्शन न करूं, तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा। मैं अब दावे से कहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग भारी अकसरियत के साथ इस बिल के साथ हैं। ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : आप को कोई हक नहीं है ऐसा कहने का।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात। Please sit down. You are crossing your limits, all the time interrupting. It is very bad.

श्री जैल सिंह : एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन और बहुत अच्छे लीडर की जबान से मैंने सुना कि हम आपकी बात पर एतबार नहीं करते हैं। हमें यकीन नहीं आता। हमने बार-बार कहा कि हम विरोधियों को दबाने के लिए इस बिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे न विरोधियों को खत्म करने के लिए यह बिल बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिए बनाया गया है ..

एक माननीय सदस्य : मीसा में क्या हुआ ?

श्री जैल सिंह : अगर मिसा वाली बात आपके साथ हुई तो जो करना हो कर लेना।

मैं कहता हूं कि यह बिल चोरों के खिलाफ है लुटेरों के खिलाफ है, लोगों को लट कर खाने वालों के खिलाफ है, बदअमनी पैदा करने वालों के खिलाफ है, नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ है, गरीबों को दबाने वालों के खिलाफ है, माइनारिटीज को दबाने वालों के खिलाफ है, हरिजनों को मारने वालों के खिलाफ है। मेरे यह सारा कुछ कहने के बावजूद अगर अपने आप को उसी कैटेगरी में गिनते हैं तो मेरे बस की बात नहीं है और मैं अब भी कहता हूं कि यह आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं। मैं कहता हूं कि चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना, गरीब अवाम की आवाज को बुलन्द करना, उनकी रक्षा करना, उनको दबाने वालों को शिकन्जे में लाना, हरिजनों को दबाने वालों को सीधा करना इस के लिए अगर यह बिल है और इस से गवर्नमेन्ट के हाथ मजबूत होते हों तो दबाने वालों की वकालत ये मेरे भाई क्यों करते हैं? मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि उनकी वकालत न करे, उनको जनता की वकालत करनी चाहिए। .. (व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : ए० के० राय का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ज्यादा बोलते हैं । गला खराब हो जायेगा आपका ।

श्री जैल सिंह : मैं उन से यह कहूंगा कि जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है उसका इस्तेमाल करें । बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं उनके हक में कहता हूं, फिर भी वे भड़कते ह, जैसे उन की सीट पर कांटे लगे हुए हों ।

मुझे हैरानी है, कई दोस्तों ने वकालत इस ढंग से की, आज मैंने बनातवाला की तकरीर को बड़े गोर से सुना । उन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टीज और डैमोक्रेसी के खिलाफ यह बिल है । जो भी उन को कहना था कहा । मेरा अपना विचार है कि मुस्लिम लीग हिन्दुस्तान की माइनारिटी को रिप्रेन्जेन्ट नहीं करती है । आज बनातवाला साहब को अपनी कम्युनिटी के साथ भी मोहब्बत नहीं है, नाम ही केवल मुस्लिम लीग रखा हुआ है । उन्होंने अपनी वकालत करने की कोशिश की लेकिन मकसद को समझ नहीं सके । गलत बात कह कर यह बिल के खिलाफ बोल गए । मैं समझता हूं कि उन को समझ आनी चाहिए यह बिल तो माइनारिटीज को बचाने के लिए है और नागरिक अधिकार की जो बात है, नागरिक अधिकारों का क्या मतलब होता है—इंडिविजवल की डिग्निटी, उस की स्वतंत्रता, अपने ख्यालों को प्रचार करने की उसकी स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता और यह हमारा विधान है, जिस विधान का नाम उन्होंने लिया, उस के प्रिएम्बल को जरा माइंड में ले आयें । याद तो सभी को होता है, आप बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं । उसमें पांच चीजें हैं जरा गौर से सुनें : सावरेन, सोसलिस्ट, सेक्यूलर, डैमोक्रैटिक, रिपब्लिक (व्यवधान) हिन्दुस्तान के सिटीजन्स के लिए इनको स्किर करना है, उनकी रक्षा करनी है और आगे चलकर जस्टिस—सोशल, एकनामिक और पोलिटिकल—देनी है लेकिन कुछ जोरावर पोलिटिकल जस्टिस नहीं देने देते, सोशल जस्टिस नहीं देने देते, इकोनामिक जस्टिस नहीं देने देते, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि एक गरीब आदमी ने जाकर लाइसेंस लिया तो जोरावर ने जाकर उसको दबाया कि तुम कैसे चला सकते हो, इस को हम चलायेंगे, हमको दे दो । इस तरह से उन्होने उसका लाइसेंस ले लिया । अगर पंचायत का मैम्बर कोई हरिजन बन गया तो उस पंचायत के मैम्बर को कहा गया, अरे तुम तो अशुद्ध हो, तुम्हारी जुम्मेवारी नहीं ली जा सकती है । आज देश में जो स्वीपर है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं जो फैक्टरियां चलाते हैं, उनकी आवाज को आप नहीं सुनते, उनकी आवाज को हमने सुना है, हम उनको सोशल, एकोनामिक और पोलीटिकल जस्टिस देंगे और समाजवाद की बुनियादों को पक्का करेंगे । यह जो विरोध करने वाले हैं, ये समायेदाराना जमूहरियत की वकालत करते हैं, ये समाजवाद की बुनियादों के खिलाफ हैं ये सैक्यूलरिजम की बुनियाद को मजबूत होने नहीं देना चाहते लेकिन मैं कहता हूं आसमान से बिजलियां टूट पड़ें, समुद्र में तूफान आ जाये, धरती में भूचाल आ जाये, यह सरकार रुकेगी नहीं । अगर हिन्दुस्तान की एकता को बरकरार रखना है, हिन्दुस्तान को बचाना है, तो हिन्दुस्तान के गरीब आदमियों की आवाज को सुनना पड़ेगा ।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जोरदार निन्दा कर दी इस बिल की लेकिन आपने कोई उपाय नहीं बताया कि गरीब आदमी को कैसे बचाया जाये ? आपने यह भी नहीं बताया कि दंगे कैसे रोके जायें ? आपने यह भी

भी नहीं बतया कि जो कम्यूनल और सेसेशनिस्ट आन्दोलन चल रहे हैं, जो लोग हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी कर सकते हैं, जो हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो गरीबों को मारना चाहते हैं, जो कम्यूनि म चाहते हैं, कास्टीजम और रीजनलिज्म फैलाना चाहते हैं . . .

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, I rise on a point of order. The hon. Home Minister is repeatedly saying that we are supporters of black-marketeers...

SOME HON. MEMBERS: No, no.

DR. SUBRAMANIAM: I would like to know from the Minister whether M. A. K. Roy falls in the category of black-marketeers,, *choron* and so on because he was arrested under the ordinance. A clarification from him under Rule 355 is needed.

श्री जैल सिंह : स्वामी जी तो बड़े समझदार आदमी हैं, देशांतर घूमकर आये हैं, हर तरह के दाव पेच जनते हैं, उनको यह कैसे लगा कि मैंने उनको ब्लैकमार्केटियर कहा है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तो सदाचारी हूं, मेरा नाम सुब्रह्मण्यम स्वामी है लेकिन मैं तो श्री ए० के० राय की बात कर रहा हूं जिनको आपने गिरफ्तार किया, क्या वे भी ब्लैकमार्केटियर हैं ?

श्री जैल सिंह : मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जितने विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, मैं सब का आदर करता हूं। इन को ब्लैकमार्केटियर नहीं कहता, दंगा कराने वाला नहीं कहता, और चोर नहीं कहता, ठग नहीं कहता, फिसादी नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहता हूं कि चोरों की वकालत न करो . . . (व्यवधान)

. . . . .

हमारे मोहतरम मैम्बर जो आखिर में बोले---उन्होंने मुझको कहा---ज्ञानी जी बचो, यह आर्डिनेन्स तुम्हारे ऊपर लगाया जायेगा, जगजीवन राम जी का नाम ले कर कहा। जब इतनी बात आप गृह मंत्री को कह लें, लेकिन गृह मंत्री अगर राय देना चाहे तो राय भी न लें और स्वामी जी जैसे आदमी खड़े हो जायें यह तो ठीक नहीं है . . .जितनी देर तक सरकार इस देश में ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। यह कानून नागरिक अधिकार, सिविल-लिबर्टी अधिकारों की रक्षा करने की गारन्टी होगा और हिन्दुस्तान में हर आदमी गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, अपनी आवाज बुलन्द कर सकेगा। एक तरफ एक जुलूस निकला, उसके बाद विरोधियों का भी जुलूस निकला। विरोधियों ने एस० डी० एम० को अपना मैमोरन्डम दिया, जिस ने उस को ले लिया। उस के बाद दूसरे लोगों ने उस एस०डी०एम० को पीटा कि तुम ने इन का मैमोरन्डम क्यों लिया। उन को घरों में जा कर दबाया कि तुम ने अपने बच्चों को जुलूस में क्यों भेजा, वे हमारे विरोधी हैं हमारे साथ रहना होगा। मेरे पास ऐसे आदमियों ने आकर मुझ से कहा है — हमारा नाम नहीं लेंगे, मैं इन के साथ इस लिए आता हूं, वरना ये मुझे मार देंगे, डरते हुए आता हूं। तलाशी होती तो बरछियां निकालती है, छुरियां निकलती हैं---ये किस बात के लिए रखी जाती हैं ? किस बात के लिए उन का इस्तेमाल किया जाता है। जब लैक्चर्स किए जाते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग जब तक खत्म नहीं होते, भारत की संस्कृति नहीं बच सकती। इन लोगों को मिटाना होगा ; इन के ईमान को मिटाना होगा, इन को सीधा करना होगा, इन को पाक करना होगा। मैं खुद नहीं कहता, लेकिन वाजपेयी जी खुद

[श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी]

बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनके विचार सैकुलर हैं, फंसे हुए हैं दूसरी पार्टी में। आप प्राइवेटली उन से पूछ लें, बडा जद्दोजहद कर रहे हैं, उन को सेकूलर बनाने में। मेरा ख्याल है —बना लगे और मुझे खुशी होगी, अगर वह बन जायेंगे

स्पीकर साहब, अब में अपने विरोधी दलों के नेताओं से यह कहूंगा—वाजपेयी जी, अच्छी तरह से जानते हैं कि उन कास्टैचूटरि "रेजोल्यूशन" आर्डिनेन्स के खिलाफ है, इस लिए आर्डिनेन्स तो वैसे तो रिपील हो जायेगा, इस प्रस्ताव को पास करवा कर क्या करेंगे? वोटिंग में भी गुनाह-वेलज्जत होगा ख्वाम ख्वाह शिकस्त होगी ...इस से क्या फायदा है ....

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी और होम मिनिस्टर अगर आपस में फैसला कर लेंगें तो इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जैल सिंह : माफ कीजिए, आप की इजाजत से होगा। आपकी मोजूदगी न हो; तो बहुत बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी हमारे मित्र हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी अमैन्डमैन्टस आई हैं, लेकिन उन में से एक भी अमैन्डमैन्ट ऐसी नहीं है जो एक्सेप्टेबिल हो। इस लिए मैं उन से कहूंगा कि आखिर कार जो गति होती है, वह तो उन को भी मालूम है और हम को भी मालूम है। हिन्दुस्तान के लोगों को पता है, सब को पता चल गया है कि फलां मैम्बर ने यह तकरीर की है, फलां मैम्बर ने यह अमेंडमेंट दी है। ये अमेंडमेंट सारी की सारी मेरे पास हैं और प्रैस वालों को भी मिल गई हैं तथ कुछ छप गई हैं और छप जायेंगी। आप कांस्टीचूयेंसी में ले जा कर कह दें कि मैंने यह ....(व्यवधान).... इस हाउस का टाइम बचाने के लिये और दोस्ती के नाते, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अपील करूंगा क्योंकि हम पोलिटिकल पार्टीज कई बार ऐसा करती हैं कि अमेंडमेंट पास हों न हों, हम दे देते हैं। टाइम मिल जाता है, चर्चा हो जाती है। यह हम को मालूम हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, इस लिए वे अमेंडमेंट्स सब वापिस ले ली जायें और यह नेशनल सिक्योरिटी बिल जो सदन के सामने हैं, इस को सर्व सम्मत्ति से पास करें। यह डैमोक्रैसी का रखवाला है, यतीमों का रखवाला है, सैक्युलरिज्म का रखवाला है, यह समाजवाद का रखवाला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण से काफी मनोरंजन किया है, लेकिन जिस मामले पर हम विचार कर रहे हैं, यह थोड़ा गम्भीर मामला है, और मैं चाहूंगा...

श्री जैल सिंह : बाजपेयी जी, हर बात को गम्भीरता से कहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहूंगा कि यह सदन और इस सदन के सदस्य जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं लोगों की आजादी का अपहरण करने से पहले उन्होंने मामले पर सारे पहलुओं पर विचार कर के फैसला किया था, कम से कम इतना सबूत तो देना चाहिए।

अखबारों में हमारा नाम छप जाये, चुनाव क्षेत्र में हम बोले थे, यह हमारे मतदाताओं को पता लग जाये, इसलिये इस सदन में इस विधेयक में संशोधन पेश नहीं किए हैं—सदन की कार्यवाही को हम इतने हल्के ढ़ंग से नहीं लेते हैं। नजरबन्दी

कानून का मामला मखौल का मामला नहीं है।

[एक माननीय सदस्य : इन्दिरा जी को निकालते समय ज्ञान नहीं रहा।]

इन्दिरा जी को निकालने का फैसला जिन्होंने किया, वे इस बात को नहीं भूले थे कि जब आप राज्य सभा में बहुमत में थे तब आप ने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को निकालने का फैसला किया था . . . (व्यवधान) . . .किसलिए किया था ?

अध्यक्ष महोदय अगर टोका टाकी होगी, तो मैं उसका सामना करने को तैयार हूं, हमने इंदिरा जी को निकाला था, क्या इसलिए नजरबन्दी कानून आ रहा है ? चोरों, लुटेरों और बदमाशों का सामना करना है, क्या इसलिए नजरबन्दी कानून आ रहा है , सैक्यूलरवाद को बचाना है, समाजवाद की रक्षा करनी है, लोकतंत्र पर आंच आ रही है, उसकी हिफाजत जरूरी है इसलिए नजरबन्दी कानून आ रहा है ? अध्यक्ष महोदय क्या इसका मतलब यह है कि अगर नजरबन्दी कानून नहीं होगा तो चोरों और लुटेरों तथा बदमाशों को पकड़ने का इस सरकार के पास और कोई हथियार नहीं रहेगा ? इस देश में सामान्य कानून है या नहीं ? क्या आपने स्वयं सामान्य कानूनों को कड़ा करने का फैसला नहीं किया है ? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप संशोधन लाए हैं लोकदल की सरकार जो आपके समर्थन से बनी थी, उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक आर्डिनेंस निकाला था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि "यह ड्रेकोनियन-मेजर" है क्योंकि उन्हें चुनाव का सामना करना था, जनता से वोट लेने थे। फिर सत्ता में आ गई, तो उस ड्रेकोनियन-मेजर को कानून का रूप दे दिया। अब ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ आपके पास कानून हैं, नजरबन्दी कानून है।

मेरे मित्र रावत यहां बैठे हुए है। इन्होंने कानून पढ़ा नहीं . . .

एक माननीय सदस्य : आपने पढ़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते : जरूर पढ़ा है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय प्रिवेशन आफ ब्लेक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेन्स आफ एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट 1980 के अंतर्गत 6 महीनों के लिए नजरबन्द करने का प्रावधान है। कुछ महीनों पहले हम ने इस को पास किया है। आज चोर बाजारियों से निपटने के लिए नया नजरबन्दी कानून लाने की क्या जरुरत है ? तस्करी के खिलाफ एक कानून पहले से बना हुआ है। काफीपोसा अमल में लाया जा सकता हैं उस के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को आपने कड़ा बनाया है। उसने व्यक्ति की जमानत लेने से मैजिस्ट्रेट मना कर सकता है, जेल भी भेज सकता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि अगर सरकार इस नतीजे पर पहूंची है कि नजरबन्दी कानून के बिना इस देश में न तो जान व माल की और न इज्जत की हिफाजत की जा सकती है और न ही सेकूलरइज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को बचाया जा सकता है, तो फिर यह कहने का क्या मतलब है कि देश में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। यह बहाना बनाने की क्या जरुरत है कि एक विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए हमने आर्डीनेंस निकाला है। ऐसा आर्डिनेन्स जारी करने की क्या जरूरत थी। अगर कोई नागरिक भारत के किसी भाग को भारत से अलग करना चाहता है, तो उस के लिए भी कानून हैं। हम इन्डियन पेनेल कोड में संशोधन कर चुके है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन कर चुके हैं संविधान में भी संशोधन किये गये हैं। हां उस में एक बात है कि देश

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

में कानून का राज रहेगा, गिरफ्तार करने वाले को ही जज बनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हम कानून का राज चाहते है, जंगल का कानून नहीं चाहते मगर हमारे गृह मंत्री जी कहते है कि जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा लोमड़ी नहीं होती। हम जंगल की बात यहां पर नहीं कर रहे है, हम सभ्य समाज की बात कर रहे है। अगर राज होगा, तो कानून का राज होगा और शेर की जगह या तो सरकस में होगी या हमारे जू में होगी। ज्ञानी जी कह कहते है कि उन्होंने तो खाली उदाहरण दिया था, विरोधी दल इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते है हम ज्ञानी जी की किसी बात का बुरा नहीं मानते, मगर जैसा मैंने अध्यादेश का निरनुमोदन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि आप के आश्वासन पर हमारा भरोसा नहीं है। ज्ञानी जी 1971 में सदन में नहीं थे। पं0 चिरन्जी लाल शर्मा ने अपने भाषण में एक बात यह कही थी कि बंगला देश की लड़ाई के बाद मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था।

कई माननीय सदस्य : कहा था... (व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं कहा था।

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): I was in the House. You said that.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं कहा था।... (व्यवधान)... मैं अपना भाषण दिखा सकता हूं मगर यह बहस का मुद्दा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1971 में सारे देश ने राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए सरकार को नजरबन्द करने का अधिकार दिया। हम ने मीसा का कोई विरोध नहीं किया, वहीं हमारे लिए अफसोस की बात थी और उसी मीसा में हम गिरफ्तार किये गये। केवल हम ही गिरफ्तार नहीं किये गये बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिन्होंने प्रधान मंत्री से मतभेद प्रकट किये, वे नेता भी नजरबंदी कानून में बन्द कर दिये गये। इस बार भी वही होगा।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि मीसा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ काम में नहीं लाया जाएगा। (व्यवधान) जी हां, आप के विचार में श्री चन्द्र शेखर राजद्रोही थे, श्री रामधन किसी विदेश के साथ साजिश कर रहे थे। क्या यह हो सकता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। मीसा के अन्तर्गत 29 हजार 795 राजनेताओं को नजरबन्द किया गया। 32 लोक सभा के सदस्य और 17 राज्य सभा के सदस्य बंद किये गये। क्या ये सब राष्ट्र विरोधी थे? 73 व्यक्ति जो मीसा में जेलों में बन्द थे, वे मर गये, उन्हें पैरोल पर छोड़ने से भी मना कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा विदेशी आक्रमण का संकट था? क्या प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से त्याग पत्र मांगना जुर्म था? (व्यवधान) जो बात कड़वी लगती है वह पुरानी बात है यह कह कर टाल रहे हैं। आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। हम भुक्तभोगी हैं, इसीलिये हम आप के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते।

गृह मंत्री महोदय ने श्री ए0 के0 राय की गिरफ्तारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया? अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तो वे इस समय जेल में सड़ रहे होते। मैं यह भी जानता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन समाप्त होते ही हममें से कुछ लोगों को जेल में बन्द करने की

साज़िश हो रही है । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं ने देखा है उन कारणों को जिन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया । उनके गिरफ्तार करने के कारण क्या दिये गये हैं ? इन की पुरानी गतिविधियां आपत्ति-जनक हैं इसलिए इन्हें नजरबंद कर दो । (व्यवधान) यह ठीक है उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन सवाल यह है कि पकड़ा क्यों ? पकड़ा भी आपने और छोड़ा भी आप ने । किसी को भी आजादी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का आप को क्या हक है क्या इसी के लिये आप यह बिल लाये हैं ।

मुझे ताज्जुब हुआ कि श्री स्टीफन बीच में विवाद में बोले और बड़े जोश से बोले । मगर उन्होंने एक बात कही जिस की ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं । इस बात की चर्चा करते हुए कि पश्चिम बंगाल और केरल की वामपंथी सरकारें इस काले कानून का उपयोग नहीं करेंगी, श्री स्टीफन ने विचित्र तर्क दिया । उन्होंने कहा कि वे इसलिए इस काले कानून का उपयोग नहीं करेंगी कि अगर उन सरकारों द्वारा कहीं इस काले कानून का उपयोग किया गया तो मजिस्ट्रेट उन्हीं के वर्कर्स को पकड़ लेगा । अधिकार दिया जा रहा है मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट चलेगा सरकार के आदेश पर और केरल और पश्चिम बंगाल में भी मजिस्ट्रेट पकड़ेगा सी0 पी0 एम0 के वर्करों को ।

SHRI C. M. STEPHEN: You have not read the provisions. The Magistrate acts on his own and reports to the State Government. You have not read the law.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट पकड़ सकता है, इस से कोई इंकार नहीं कर सकता । लेकिन अगर वहां की केरल और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार नहीं चाहती हैं कि नजरबंद किया जाये तो सरकार उन्हें छोड़ देगी । इन्होंने माना है कि पश्चिम बंगाल में या केरल में पकड़ा जाये तो सी0 पी0 एम0 के लोगों को पकड़ा जाए, उन विरोधियों को नहीं पकड़ा जाए जो कलकत्ता की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं । (व्यवधान)

SHRI C. M. STEPTEN: Are the RSS people not involved in Kerala? RSS and Marxists are fighting in Kerala.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस बात की बड़ी चर्चा की गई है कि हम शान्तिपूर्ण विरोध का समर्थन करते हैं, लोकतन्त्र में लोगों को शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए । साथ ही विरोधी दलों पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वे हिंसा भड़का रहे हैं । क्या किसानों से यह कहना कि तुम्हें गन्ने का भाव 30 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए, हिंसा भड़काना है ? क्या किसानों से यह कहना कि तुम्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता तो तुम गन्ना मत बेचो ... (व्यवधान)...

मैं अभी आप की किसी बात का जवाब नही दे रहा, पहले आप मेरी बात सुनिए । इस बहस में इतने कांग्रेस के मेम्बर बोले और उस में श्री सुखाड़िया भी बोले । उन सब के भाषणों को सुन कर हमारी आशंकाओं की पुष्टि हुई है, हमारे भय मजबूत हुए हैं, हमारे शक इस विश्वास में बदल गए हैं कि समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ यह काला कानून नहीं है, राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप इस देश में किसी तरह का विरोध बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, किसान गन्ने का अधिक दाम मांग रहा है, कर्मचारी, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए आप को नजरबंदी कानून की जरूरत है । नजरबंदी कानून से जो देश में आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं वे दूर नहीं होंगे । कितने लोगों को

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

नजरबंद करेंगे ? बड़े दु:ख की बात है कि कांग्रेस के एक सदस्य ने भी यह नहीं कहा कि एडवाइजरी बोर्ड का जो फैसला बदल दिया गया और इस आधार पर कि नोटिफिकेशन नहीं किया, अगर हम ने नहीं किया तो आप करे दीजिये, आप क्यों नहीं करना चाहते? (व्यवधान) .. फोर्टी फोर अमेंडमेंट पार्लियामेंट में हुआ, स्वीकृत संशोधन का हिस्सा है। संविधान बदला जा चुका है। संसद् की इच्छा का आदर होगा कि नहीं ? पार्लियामेंट इज सुप्रीम ।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो यही कर रहे थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो हमने जो किया था क्या वही आप करने वाले हैं ? हम आप को ढ़ाई साल में वापस ले आए क्या आप भी हमें ढ़ाई साल में वापस ले आएंगे । ...(**व्यवधान**)...

SHRI C. M. STEPHEN: He has not answered the question. The question is: You and the succeeding Government notified all amendments except this. Why did you not notify this particular one? That shows that you are in favour of the preventive detention in the form in which it was provided by the Constitution. Why did you not notify this Clause? Every other clause was notified. Why did you not notify this particular clause?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The notification should have been issued. But the will of the Parliament was reflected in the amendment accepted by the Parliament. It was for the Executive to make the notification, suppose there was a lapse on the part of the Janata Government. Why did not you issue the notification?

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय, इन्हों ने भी फोर्टीफोर अमेंडमेंट का समर्थन किया था, किन्तु इनका रवैया यह है कि

SHRI C. M. STEPTEN: We do not want the amendment. That is our position. We have no commitment to notify your amendment. A now Parliament has come.

MR. SPEAKER: Lot Mr. Vajpayee speak.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जज को अधिकार नहीं मिलना चाहिए । दस साल तक जो वकील वकील के नाते काम कर चुका है, जो हां में हां मिला सकता है उस पर कृपा का भंडार उडेल कर उसको एडवाइजरी बोर्ड में बिठाया जा सकता है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी कांग्रेस के सदस्य ने इस बात की ओर इशारा क्यों नहीं किया ? कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं और कुछ बोले भी हैं । हर एक ने समर्थन किया है । उन्होंने इस बात की भी आशंका प्रकट नहीं की कि इस काले कानून का दुरुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग को रोकना चाहिए । आप असाधारण अधिकार देंगे तो दुरुपयोग की आशंका रहेगी । मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली): मैंने दिया है । सिर्फ एक केस को छोड़ कर बाकी सब को एप्रूव किया गया है । लेकिन मैंने उन से पूछा है कि वह कैबिनैट मिनिस्टर थे । तब क्या उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया था या नहीं ? मध्य प्रदेश में मिनी मीसा भी वापिस नहीं लिया । उनको राइट आफ रिप्लाई है । रिप्लाई में वह इसका जवाब दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं । मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं । ये एमरजेंसी ले

था, यह गलती नहीं थी । इन्होंने देश को जेल खाना बना दिया यह गलती नहीं थी । एक लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने जेलों में बन्द किया, इन्होंने गलती नहीं की । ये कैसे दूध के धुले हुए हैं । आज उधर बैठे हैं और हम से जवाब तलब कर रहे हैं । मैं जवाब दे रहा हूं । ये चुनाव लड़े थे इस वादे पर और यह आश्वासन दे कर कि हम एक हज़ार साल तक एमरजेंसी नहीं लाएंगे और अब एमरजेंसी का औचित्य ठहराने वाले भाषण दिए जा रहे हैं । स्टीफन साहब क्या कहते हैं कहते हैं : "We mean business." What business? He cannot run his Telephone Department properly, he means business. दूसरे कांग्रेस के मैम्बर कहते हैं और कड़ाई करो । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी आधार पर आपको लोगों ने समर्थन दिया था ?

गृह मंत्री जी कहते हैं कि 95 परसेंट लोग इस के साथ हैं । मैं कहता हूं कि 95 परसेंट क्यों, सौ परसेंट क्यों नहीं ? शायद आपने एक परसेंट हम लोगों को छोड़ दिया है । लेकिन आप 99 परसेंट का दावा क्यों नहीं करते ?

श्री जैल सिंह : हैं तो इतने ही जितने आपने अब बताए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञानी जी से बहस कौन कर सकता है ?

श्री जैल सिंह : मैं भूल गया था । चार परसेंट मैंने कम कर दिए थे । इन्होंने ठीक कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इतना एमेण्डमेंट मान लिया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञानी जी इतनी सरलता से इतनी गम्भीर बात कह देते हैं कि आदमी लाजवाब हो जाता है । क्या कोई बहस करे । शायद ऐसा गृह मंत्री तो भारत ने अभी तक देखा नहीं है और शायद आगे भी देखने को न मिले ।

श्री जैल सिंह : अभी आगे आगे देखिए होता है क्या ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर 95 परसेंट लोग इसके साथ हैं तो सरकार को यह संशोधन मान लेना चाहिए था कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए । ये 95 परसेंट की बात करते हैं । फिर कहते हैं कि इस सदन में हम इतने हैं और आप खाली इतने हैं ।

अपने चुनाव में यह मुद्दा उठाया होता—मैं फिर कह रहा हूं —मगर चुनाव में तो आपने ब्लैक मार्किटीयर्ज के खिलाफ जो आर्डिनेन्स था उसकी आलोचना की थी । आपने लोक सभा के चुनाव में यह नहीं कहा था कि हम को चुन कर भेजो, हम सारे कानूनों को ताक पर रख देंगे और बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में बन्द करने का अधिकार लेंगे, बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार लेंगे । आप तो एक हजार वरस तक एमरजेंसी नहीं आएगी यह वादा कर रहे थे । आप तो इमरजेंसी के अपराधों के लिए माफ़ी मांग रहे थे । अब तेंवर बदले हुए हैं । आज बहुमत का जोश है । मगर राष्ट्रपति महोदय ने 15 अगस्त को रेडियो पर जो भाषण किया उसकी दो पंक्तियों को याद रखिये "संसद् में और विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त करना एक बात है और सारे देश की जनता को साथ ले कर चलना दूसरी बात है" । यह उनका भाषण है आल इंडिया रेडियो से । एक तरफ 95 प्रतिशत का समर्थन है, यह दावा करना, फिर कहना कि सदन में संशोधन ठुकरा दिया जायेगा । हम जानते हैं कि संशोधन ठुकरा दिया जायगा । मगर इस काले कानून के खिलाफ़ हम लड़ेंगे आखिरी दम तक ।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

20 hrs.

अध्यक्ष महोदय, एक मामला बहुत जोर से उठाया गया है। जनता सरकार इसी तरह का एक संशोधन लाई थी और माननीय चरण सिंह ने उस समय क्या कहा यह पढ़ कर बताया गया। मुझ से पूछा गया और पूछने वाले माननीय स्टीफन थे जो 1977 के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी का साथ छोड़ कर चह्वाण साहब के साथ जा रहे थे। यह मारल कार्वडिस की बात करते हैं। यह चले गये थे। लेकिन यह दूसरे दिन वापस आ गये, और इसीलिए श्री मोरारजी भाई ने इन के मुंह पर कहा था यू आर मास्टर डिफ़ेक्टर। इन्होंने जवाब नहीं दिया। यह दिल्ली में आई० एन० टी० यू० सी० के दफ्तर में बैठते थे, वहां श्रीमती इन्दिरा गांधी का फ़ोटो लगा था। 1977 के चुनाव के बाद इन्होंने फ़ोटो हटा दिया था। मैं बहुत सी बातें जानता हूं, ये जरा ज्यादा बातें न करें। यह मारल कार्वडिस की बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में क्या हुआ यह बताने के लिए मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गोपनीयता का आवरण ले कर शाह कमीशन के सामने बयान देने से भी इन्कार कर दिया था। लेकिन जब लोक सभा में उस समय के गृह मंत्री, श्री चरण सिंह द्वारा विधेयक पेश हुआ तो पार्टी में विरोध हुआ, पालियामेंट के बाहर विरोध हुआ और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली एक पार्टी के नाते हमने उस विरोध के सामने सर झुकाया, विधेयक को वापस लिया। माननीय चरण सिंह ने जो भाषण दिया था विधेयक को वापस लेते हुए उसको किसी ने नहीं पढ़ा। कैबिनेट के फैसले के हिसाब से उसको वापस लिया गया। अगर कैबिनेट पेश करने का फैसला करती है तो आप उसका हवाला देंगे। तो क्या वापस करने का फ़ैसला विरोधी दल ने किया था?

मैं श्री चरण सिंह के बयान का एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं।

"While safeguards built into the Bill have been generally welcomed, certain misgivings have continued to find expression against this measure both in the House and outside. With the traumatic experience of the Emergency still afresh in our minds, there is understandable apprehension in the public mind..."

SHRI C. M. STEPHEN: What is this?

AN. HON. MEMBER: It is Mr. Charan Singh's statement in this House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: "....that the powers of preventive detention could be misused by the executive notwithstanding the safeguards. Having shared these experiences myself, I cannot say that these fears are wholly without any basis. There is also a feeling that the Janata Party having received people's mandate on the restoration of democracy and removal of curbs on civil liberties should not have recourse to such extraordinary laws. The true test of the health of democracy is the responsiveness of the government to public opinion. The question of government standing on prestige in such matters does not arise. Government have therefore reconsidered the matter and propose to withdraw the Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill 1977 introduced in the House on 23rd December 1977 and to bring forward separate legislation for the repeal of the Maintenance of Internal Security Act, 1977."

श्री बसन्त साठे: वाजपेयी जी कैबिनेट की बात मत कहो, क्या आपने बाहर या अन्य जगह कहीं भी और कभी भी उसका विरोध किया था? इतना कह दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर साठे जी टेलीवीजन का इंटरव्यू करने वाला आदमी मेरे पास भेज दें और वह इंटरव्यू टेलीवीजन पर दिखाने का वादा करें तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। (व्यवधान) :

श्री वसन्त साठे : यह वायदा करता हूं, आप यहीं कह दें, टेलीवीजन का मैं वादा करता हूं। (व्यवधान)।

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : ऐसा वायदा मत करो। यह वादा वादा नहीं है। (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जनता के राज में राजनीतिक विरोधियों के लिए नजरबन्दी कानून का उपयोग नहीं किया गया। विरोधी दल के नाते दिल्ली में अदालतों में गड़बड़ करने की कोशिश की गई, देहरादून में उस समय के विरोधी दल के समर्थक मजिस्ट्रेट की अदालत में घुस गये, नारे लगाये, शोर-शराबा किया, फाइलें फाड़ दीं (व्यवधान)। दिल्ली में जबरदस्ती कनाट प्लेस बन्द कराने की कोशिश की गई, जो विमान को हाई-जैक कर के ले जाना चाहते थे, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विमान को हाई-जैक करना क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है? विमान को हाई-जैक करने के लिए दुनिया के अनेक देशों में मौत की सजा है, पर यहां उसे मौत की सजा देने के बजाय कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। (व्यवधान) आज भी कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में विरोधी-दल में है, उनमें किस प्रकार आचरण कर रही है?

मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने ठीक कहा था कि प्रधान मंत्री को आचरण के दो गज चाहियें। जब वह खुद विरोधी दल में थी, उस समय के लिए एक गज चाहिए, और जब हम विरोधी दल में हैं तो दूसरा गज चाहिए।

SHRI C. M. STEPHEN: What were you doing it at that time? (*Interruptions*) He is saying this after embracing the dynamite leader George *Fernandes!* (*Interruptions*) What happened to that case? (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: What happens under dictatorship? (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: What happened about the case of hijacking? Was he convicted? (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order, Order.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आचरण का जो मापदण्ड होगा, वह सभी विरोधी-दलों पर लागू करना पड़ेगा। वह केवल केन्द्र में नहीं, उन प्रदेशों में भी लागू करना पड़ेगा जहां इन्दिरा कांग्रेस विरोधी दल में है, लेकिन इस तरह का मान-दण्ड बनाकर चलने की कोई तैयारी नहीं है। सारी ताकत लगाई जा रही है, कानून का उपयोग कर के, और अगर सामान्य कानून पर्याप्त नहीं है तो व्यक्तिगत स्वाधीनता का हनन कर के, काले कानून का उपयोग कर के जो भी आवाज विरोध में उठती है, उस स्वर को रुद्ध कर दिया जाये, जो भी जन-संतोष की वाणी देता है, उसके सामने जेल का खतरा खड़ा किया जाये।

चीनी के घोटाले में 1,000 करोड़ रुपया कमाया गया। (व्यवधान) जो चीनी 3 रुपये किलो बिकनी चाहिए थी, वह आपके राज्य में 13 रुपये किलो बिकी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी कृपा से।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : एक किलो पर 10 रुपये मुनाफ़ा ! यह 10 रुपये किलो का मुनाफ़ा किस की जेब में गया है ? यह मुनाफ़ा किसान को नहीं मिला है । उपभोक्ता को अधिक कीमत देनी पड़ी है, अगर गन्ना पैदा करने वाला किसान अधिक कीमत मांगता है तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। हम मांग करते हैं . . . (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप कराइये । मैं इस तरह से नहीं बोल सकता हूं । जब ज्ञानी जी को टोका जा रहा था, तो आप उस समय बहुत गर्म हो रहे थे । थोड़ी सी गर्मी आप इस समय भी दिखाइए ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इस समय हर वर्ग में असंतोष है । बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, भ्रष्टाचार का सार्वदेशिक स्वरूप, जन-भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही करने की शासन की अक्षमता, ये सब जन-असंतोष को उग्र रूप दे रहे हैं । कोई विरोधी दल लोगों को नहीं भड़का रहा है । क्या आसाम आन्दोलन कोई विरोधी दल कर रहा है ? (**व्यवधान**) इतने बड़े आन्दोलन का श्रेय हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं । आप हमें ऐसा श्रेय मत दीजिए, जिसको लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं ।

लोग बिगड़ रहे हैं, जनता विरोध के पथ पर जा रही है और इस समय केवल नज़रबन्दी कानून बन कर परिस्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है । अगर सरकार केवल कानून के भरोसे रहेगी, तो आर्थिक-सामाजिक तमाव और भी उग्र होंगे । नज़रबन्दी कानून में सब से बड़ा दोष यहां है कि मंत्रियों में आत्म संतोष की भावना पैदा हो जाती है और सरकारी अफ़सर समझते हैं कि नज़रबन्दी कानून है, आदमियों को बन्द कर दिया, स्थिति सुधर जायेगी । मगर ग्यारह महीने हो गये, कोई ठोस कदम सरकार आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में उठा रही है, इसका कोई सुबूत नहीं है । एक के बाद एक कानून, अख़बारों को धमकी, न्याय-पालिका को डराने की कोशिश, जजों के स्थानों को ख़ाली रखना, नये जजों को नियुक्त करने में आना-कानी, और सब के ऊपर नज़रबन्दी कानून ।

अध्यक्ष महोदय, आपके पास सूचना आयेगी, जब हम होंगे तिहाड़ जेल में, और बुलेटेन पार्ट टू में लिखा जायेगा कि एक के बाद एक विरोधी दल के मेम्बर सरकारी मेहमान बनाये जा रहे हैं । यह काला कानून, यह नज़रबन्दी का कानून, नये साल का नया तोहफ़ा है, जो यह सरकार देने जा रही है । बाहर अंधेरा बढ़ रहा है और उस कधेरे की छाया इस सदन के भीतर भी पड़ रही है

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो हथियार लेने थे, जो अधिकार लेने थे, वे उन्होंने ले लिये । अगर वह योग्य हैं, सक्षम हैं, अगर उनके पास योजना है, अगर उनका लक्ष्य स्पष्ट है, तो उन हथियारों के बल पर शान्ति और व्यवस्था कायम रखते हुए वह देश में बुनियादी परिवर्तन के तकाज़े को पूरा कर सकते हैं । लेकिन बुनियादी परिवर्तन की इनकी इच्छा नहीं है । येन-केन प्रकारेण सत्ता में बने रहन ही इनकी लालसा है । लेकिन नज़रबन्द कर के वह लोगों का गला नहीं दबा सकते, लोगों की आवाज़ को बन्द नहीं कर सकते । (**व्यवधान**)

मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है । ज्ञानी जी, इतिहास लिखा जा रहा है । यह पंजाब की विधान सभा नहीं है, माफ

करिए । (व्यवधान) मुझे "पंजाब" का नाम नहीं लेना चाहिए था । मैं उसे वापस लेता हूं । मैं "पंजाब" शब्द को वापस लेना चाहता हूं । यह विधान सभा नहीं है । (व्यवधान) ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री वाजपेयी को पंजाब विधान सभा के बारे में ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है । पंजाब विधान सभा में उनसे योग्य आदमी हैं और वे अच्छे फ़ैसले करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने बहस सुनी है । आपने किस तरह के बोलने वाले खड़े किये थे, वे भी हमने देख लिये हैं । गृह मंत्री को भी हमने सुना है । कोई गृह मंत्री विरोध न करने की अपील करते हुए यह नहीं कहता कि अख़बारों में आपका नाम छप जायेगा । हम अख़बारों में नाम छपवाने के लिए यहां नहीं बोलते हैं । (व्यवधान) आपने गृह मंत्री को नहीं रोका था । (व्यवधान) ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): I am raising a very important point of order. The floor of this House cannot be utilised for criticising the Legislative Assemblies.

MR. SPEAKER: He has withdrawn that.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If the hon. Member has withdrawn that, he has no reason to *afshosh*.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I have *afshosh* for your intelligence. There is no reason for any *afshosh!*

श्री शिव राज वी पाटिल : मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यहां पर एक मेम्बर दूसरे मेम्बर के खिलाफ या दूसरी असेम्बली के खिलाफ इस प्रकार की बात नहीं कर सकते और अगर कोई करता है तो उस की गलती है ... (व्यवधान) ..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या इस सदन में ये बात चल सकती हैं कि विरोधी दल के लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं अखबारों में नाम लिखाने के लिए ? हम ने उस को मज़ाक में लिया था । लेकिन ये हमारा मजाक नहीं समझ सकते । हम अपना प्रस्ताव वापस ले लें यह अपील करते हुए गृह मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि आप के संशोधन छप गए, आप अपने चुनाव क्षेत्र में उन को बांट दीजिएगा? यह कौन सी संसदीय परम्परा के अनुसार है ? क्या यह सदन की गरिमा के अनुकूल है? .... (व्यवधान) ... मगर मैं मानता हूं कि ज्ञानी जी इस सदन में नये हैं और इसलिए उन्ह इस सदन की परम्परा का अनुभव नहीं है । उन्ह ऐसी बात यहां नहीं कहनी चाहिए थी । हमारे लिए यह अखबारों में नाम छपाने का भी मामला नहीं है । हमारे लिए अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को बताने का सवाल नहीं है कि हम ने लोक-सभा में यह बोल दिया, हम ने यहां रस्म अदायगी कर दी । हम यहां रस्म-अदायगी के लिए नहीं बोल रहे हैं । हम बोल र हैं अपनी आजादी और देश के हर नागरिक की आजादी को बचाने के लिए और आजादी को बचाने की यह लड़ाई इस सदन में चलेगी तथा शांतिपूर्ण ढंग से इस सदन के बाहर चलेगी ।

MR. SPEAKER: I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri Atal Bihari Vajpayee to the vote of the House. The question is:

"This House disapproves of the National Security Ordinance, 1980 (Ordinance No. 11 of 1980) promulgated by the President on the 22nd September, 1980."

The Lok Sabha divided:

Division No. 22

22.26 hrs.

AYES

Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Banatwalla, Shri G. M.
Barman, Shri Palas
Basu, Shri Chitta
Bhattacharyya, Shri Sushil
Biswas, Shri Ajoy
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chandra Pal Singh, Shri
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaudhary, Shri Motibhai
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri Yeshwantrao
Choubey, Shri Narayan
Choudhury, Shri Saifuddin
Dandavate, Prof. Madhu
Dandavate, Shrimati Pramila
Das, Shri R. P.
Ghosh, Shri Niren
Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Giri, Shri Sudhir
Gopalan, Shrimati Suseela
Gupta, Shri Indrajit
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Jatiya, Shri Satyanarayan
Jha, Shri Bhogendra
Kodiyan, Shri P. K.
Lawrence, Shri M. M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahata, Shri Chitta
Maitra, Shri Sunil
Mandal, Shri Mukunda
Mandal, Shri Sanat Kumar
Masudal Hossain, Shri Syed
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Misra, Shri Satyagopal
Modak, Shri Bijoy
Mohammed Ismail, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Pathak, Shri Ananda
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Riyan, Shri Baju Bhan
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shastri, Shri Ramavatar
Shejwalkar, Shri N. K.
Suraj Bhan, Shri
Swamy, Dr. Subramaniam
Tirkey, Shri Pius
Unnikrishnan, Shri K. P.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Varma, Shri Ravindra
Yadav, Shri R. P.
Yadav, Shri Vijay Kumar
Jainal Abedin, Shri

NOES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Ahmed, Shri Kamaluddin
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Ankineedu Prasad Rao, Shri P.
Appalanaidu, Shri S. R. A. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Baleshwar Ram, Shri
Behera, Shri Rasabehari
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Acharya
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhoi, Dr. Krupasindhu
Birendra Singh Rao, Shri
Brijendra Pal Singh, Shri

Buta Singh, Shri
Chakradhari Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Chavan, Shri S. B.
Chennupati, Shrimati Vidya
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Dabhi, Shri Ajitsinh
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri A. C.
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Dubey, Shri Ramnath
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gehlot, Shri Ashok
Gomango, Shri Giridhar
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Virdhi Chander
Jamilur Rahman, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jha, Shri Kamal Nath
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Kumari
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Malik M. M. A.
Kosalram, Shri K. T.
Krishan Dutt, Shri
Krishna Pratap Singh, Shri
Kusuma Krishna Murthy, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshmanan, Shri G.
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mallick, Shri Lakshman
Mallikarjun, Shri
Mishra, Shri Ram Nagina
Misra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nagina Rai, Shri
Naidu, Shri P. Rajagopal
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K. S.
Oraon, Shri Kartik
Panday, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Patil, Shri Chandrabhan Athare
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Vijay N.
Pattabhi Rama Rao, Shri S. B. P.
Phulwariya, Shri Virda Ram
Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana
Potdukhe, Shri Shantaram
Pullaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Ram, Shri Ramswaroop
Ramamurthy, Shri K.
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Brahmananda
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Reddy, Shri T. Damodar
Sathe, Shri Vasant
Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari
Shankaranand, Shri B.
Shanmugam, Shri P.
Sharma, Shri Chiranji Lal
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nawal Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu

Shastri, Shri Hari Krishna
Shiv Shankar, Shri P.
Shinvendra Bahadur Singh, Shri
Singh Deo, Shri K. P.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Soren, Shri Hari Har
Stephen, Shri C. M.
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Singh
Tayyab Hussain, Shri
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vijayaraghavan, Shri V. S.
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Subhash Chandra
Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

MR. SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is: Ayes 65; Noes 122. The Noes have it.

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Mr. Banatwalla, are you pressing your amendment?

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रावाम की राय के लिए तो इन्कार नहीं किया जा सकता है। श्रावाम उनके साथ हैं ? दूध का दूध श्रौर पानी का पानी— पता चल जाएगा। इसलिए मैं सदन से-दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस तरमीम को मंजूर किया जाए।

] شری - ایم بنات والا : عوام کی رائے کے لئے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے عوام انکے ساتھ ہیں ? دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی - پتا چل جائے گا - اس لئے میں سدن سے درخواست کروں گا کہ میری اس ترمیم کو منظور کیا جائے - [

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th February, 1981." (17)

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th April, 1981." (18)

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1981." (50)

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1981." (188)

The Lok Sabha divided:

Division No. 23]

AYES

20.35 hrs.

Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Balanandan, Shri E.
Banatwalla, Shri G. M.
Barman, Shri Palas
Basu, Shri Chitta
Bhattacharyya, Shri Sushil
Biswas, Shri Ajoy
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chandra Pal Singh, Shri
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaudhuri Shri Tridib
Chavan, Shri Yeshwantrao
Choudhury, Shri Saifuddin

*The following Members also recorded their votes:

AYES: Sarvshri R. L. P. Verma, Suryanarayan Singh, L. S. Tur and Prof. P. J. Kurien.

NOES: Sarvshri D. N. Tiwari, Saminuddin, Madhusudan Vairala, Era Anbarasu, Chandra Shekhar Singh, and Shrimati Gurbinder Kaur Brar.

Dandavate, Prof. Madhu
Das, Shri R. P.
Ghosh, Shri Niren
Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Giri, Shri Sudhir
Gopalan, Shrimati Suseela
Gupta, Shri Indrajit
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Jatiya, Shri Satyanarayan
Jha, Shiv Bhogendra
Kodiyan, Shri P. K.
Kurien, Prof. P. J.
Lawrence, Shri M. M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahata, Shri Chitta
Maitra, Shri Sunil
Mandal, Shri Mukunda
Mandal, Shri Sanat Kumar
Masudal Hossain, Shri Syed
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Misra, Shri Satyagopal
Modak, Shri Bijoy
Mohammed Ismail, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar,ShriBapusaheb
Pathak, Shri Ananda
Rajan Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Riyan, Shri Baju Ban
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shastri, Shri Ramavatar
Shejwalkar, Shri N. K.
Suraj Bhan, Shri
Surya Narayan Singh, Shri
Swamy, Dr. Subramaniam
Tirkey, Shri Pius
Unnikrishnan, Shri K. P.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri R. P.
Yadav, Shri Vijay Kumar
Zainal Abedin, Shri

NOES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Ahmed, Shri Kamaluddin
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Ankineedu Prasad Rao, Shri P.
Appalanaidu, Shri S. R. A. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Baleshwar Ram, Shri
Behera, Shri Rasabehari
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev Acharaya
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhoi, Dr. Kruppasindhu
Birendr Singh, Rao Shri
Brar, Shrimati Gurbrinder Kaur
Brijendra Pal Singh, Shri
Buta Singh, Shri
Chakradhari Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Chavan, Shri S. B.
Chennupati, Shrimati Vidya
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Dabhi, Shri Ajitsinh
Dalbir Singh, Shri
Das Shri A. C.
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Dubey, Shri Ramnath
Era Anbarasu, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gomango, Shri Giridhar

Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Virdhi Chander
Jamilur Rahman, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jha, Shri Kamal Nath
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Mamla Kumari, Kumari
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Malik M. M. A.
Kosalram, Shri K. T.
Krishan Dutt, Shri
Krishna Pratap Singh, Shri
Kusuma Krishna Murthy, Shri
Lakkappa, Shri K.
Lakshmanan, Shri G.
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mallick, Shri Lakshman
Mallikarjun, Shri
Mishra, Shri Ram Nagina
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nagina Rai, Shri
Naidu, Shri P. Rajagopal
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K. S.
Oraon, Shri Kartik
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Patil, Shri Chandrabhan Athare
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Vijay N.
Pattabhi Rama Rao, Shri S. B. P.
Phulwariya, Shri Virda Ram
Poojary, Shri Janardhana
Potdukhe, Shri Shantaram
Pullaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Ram, Shri Ramswaroop
Ramamurthy, Shri K.
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Brahmananda
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Reddy, Shri T. Damodar
Saminuddin, Shri
Sathe, Shri Vasant
Shaktawat, Prof. Nirmala Kumari
Shankaranand, Shri B.
Shanmugam, Shri P.
Sharma, Shri Chiranji Lal
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Naval Kishore
Sharma, Shri Pratap Bhanu
Sharma, Dr. Shanker Dayal
Shastri, Shri Hari Krishna
Shiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Singh Deo, Shri K. P.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Soren, Shri Hari Har
Stephen, Shri C. M.
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Sukhubuns Kaur, Shrimati
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayyab Hussain, Shri
Thungon, Shri P. K.
Tiwari, Shri Narayan Datt
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vijayaraghavan, Shri V. S.

Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Subhash Chandra
Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

MR. SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes 66; Noes 127.

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The Lok Sabha divideds

Division No. 24] **[20.47 hrs.**

AYES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Ahmed, Shri Kamaluddin
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Ankineedu Prasad Rao, Shri P.
Appalanaidu Shri S. R. A. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Baleshwar Ram, Shri
Behera, Shri Rasabehari
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Acharya
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhoi, Dr. Krupasindhu
Birendra Singh Rao, Shri
Brar, Shrimati Gurbinder Kaur
Brijendra Pal Sing, Shri
Buta Singh, Shri
Chakradhari Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Chavan, Shri S. B.
Chennupati, Shrimati Vidya
Choudhari Shrimati Usha Prakash
Dalbir Singh, Shri
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Dubey, Shri Ramnath
Era Anbarasu, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gehlot, Shri Ashok
Gomango, Shri Giridhar
Jain, Shri Bhikhu Ram
Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Virdhi Chander
Jamilur Rahman, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jha, Shri Kamal Nath
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Kumari
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Malik M. M. A.
Kosalram, Shri K. T.
Krishan Dutt, Shri
Krishna Pratap Singh, Shri
*Kurien, Prof. P. J.
Kusuma Krishna Murthy, Shri
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram

---

* (i) The result of this division applies to each of the Amendments Nos. 17, 18, 50 and 188, separately.

(ii) The following Members also recorded their votes:

AYES: Shrimati Parmila Dandavate and Shri Narayan Choubey;

NOES: Sarvashri Ashoka Gehlot, Rajesh Pilot, C. Chinaswamy and Nityananda Mishra.

*Wrongly voted for Ayes.

Mallick, Shri Lakshman
Mallikarjun, Shri
Mishra, Shri Ram Nagina
Misra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Anand Gopal
Nagina Rai, Shri
Naidu, Shri P. Rajagopal
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K. S.
Oraon, Shri Kartik
Pandey, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Patil, Shri Chandrabhan Athare
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Vijay N.
Pattabhi Rama Rao, Shri S. B. P.
Phulwariya, Shri Virda Ram
Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana
Potdukhe, Shri Shantaram
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Ram, Shri Ramswaroop
Ramamurthy, Shri K.
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddy, Shri G. Narsimha
Reddy, Shri K. Brahamananda
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Reddy, Shri T. Damodar
Saminuddin, Shri
Sathe, Shri Vasant
Shakatawat, Prof. Nirmala Kumari
Shankaranand, Shri B.
Shanmugam, Shri P.
Sharma, Shri Chiranji Lal
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nawal Kishore
Sharma, Dr. Shanker Dayal
Shastri, Shri Hari Krishna
Shiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Singh Deo, Shri K. P.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Soren, Shri Hari Har
Stephen, Shri C. M.
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayyab Hussain, Shri
Thungon, Shri P. K.
Tiwari, Shri Narayan Datt
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vijayaraghavan, Shri V. S.
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Subhash Chandra
Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

NOES

Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Balanandan, Shri E.
Banatwalla, Shri G. M.
Barman, Shri Palas
Basu, Shri Chitta
Bhattacharyya, Shri Sushil
Biswas, Shri Ajoy
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaudhary, Shri Motibhai
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri Yeshwantrao
Choubey, Shri Narayan
Choudhury, Shri Saifuddin

Dandavate, Prof. Madhu
*Das, Shri A. C.
Das, Shri R. P.
Ghosh, Shri Niren
Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Giri, Shri Sudhir
Gopalan, Shrimati Suseela
Goyal, Shri Krishna Kumar
Gupta, Shri Indrajit
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Harikesh Bahadur, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Jaitiya, Shri Satyanarayan
Jha, Shri Bhogendra
Kodiyan, Shri P. K.
Lawrence, Shri M. M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahata, Shri Chitta
Maitra, Shri Sunil
Mandal, Shri Mukunda
Mandal, Shri Sanat Kumar
Masudal Hossain, Shri Syed
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Mishra, Shri Satyagopal
Modak, Shri Bijoy
Mohammed Ismail, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Pathak, Shri Ananda
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Riyan, Shri Baju Ban
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Roy, Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shastri, Shri Ramavatar
Shejwalkar, Shri N. K.
Suraj Bhan, Shri
Surya Narayan Singh, Shri
Swamy, Dr, Subramaniam
Unnikrishnan, Shri K. P.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri R. P.
Yadav, Shri Vijay Kumar
Zainal Abedin, Shri

MR. SPEAKER: Subject to correction, the result* of the division is:

Ayes: 125; Noes: 67

The motion was adopted

MR. SPEAKER: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2—(*Definitions*)

SHRI G. M. BANATWALLA: I beg to move:

Page 1, line 9—

omit "or by an officer subordinate to a State Government" (1)

20.36 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी तरमीम का मकसद साफ जाहिर है कि बिल में मरकजी हुकूमत को नजरबंदी का

*Wrongly voted for Noes.

*The following Members also r recorded their votes:

AYES: Sarvashri Ajit Singh Dabhi, Darur Pullaiah, Pratap Bhanu Sharma, C. Chinnaswamy, G. Lakshmanan and A. C. Das;

NOES: Shrimati Pramila Dandavate, Shri Pius Tirkey and Prof. P. J. Kurien.

[Shri G. M. Banatwalla]

अख्तियार दिया गया है। इस बिल के अन्दर नजरबंदी का अख्तियार रियासती हुकूमत को भी दिया गया है और साथ-साथ यह भी कहा जा रहा है कि नजरबंदी का अख्तियार रियासती हुकूमत के छोटे-मोटे और मातहत अफसरान को भी दिया जाएगा। यह इन्तिहाई काबिले एतराज बात है।

डिप्टी स्पीकर साहब जब इन्सान की आजादी का सवाल पैदा होता है तो उसकी आजादी के सवाल को मातहत अफसरान के रहमों-करम पर छोड़ देना इंसानी आजादी का मजाक उड़ाने के बराबर है।

जनाव डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बार-बार इस एवान में कहा है कि मातहत जो छोटे-मोटे अफसरान हुआ करते हैं वे मुकामी दबावों के अन्दर आया करते हैं और सियासी दबाव का भी उन पर बहुत कुछ असर हुआ करता है। लिहाजा मेरी यह तरमीम है कि कम से कम इन मातहती अफसरान को यह हक नहीं होना चाहिए।

यह हक मातहती अफसरान को पहले हासिल था और उसका नतीजा एक नये जुल्मो-सितम में सरकार की तरफ से हिन्दुस्तान के अन्दर दिखाई दिया। ज्ञानी जैल सिंह जब अपनी जवाबी तकरीर कर रहे थे तो उनका नजरे करम मुझ पर भी रहा और चन्द बातें जो मैंने कही थीं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अक्लियतों का भी जिक्र किया और कहा कि नजरबन्दी का कानून अक्लियतों की जान-माल, और उनकी हिफाजत के लिए है।

वे कैसे अक्लियतों के दिल की कसक को समझ सकते हैं। गुजिश्ता दिनों में नजरबंदी के कानून का इस्तेमाल कर के इन अक्लियतों पर नये-नये जुल्म और सितम ढाये गये हैं। ऐसे जुल्म और सितम ढाये गये हैं कि कोई उनकी मिसाल नहीं मिलेगी। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब मैं कह रहा था।

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Bantawalla, I would very much like you to speak on the amendment. You have already made the speech.

श्री जी० एम० बनातवाला: आपको समझाने के लिए मैं अंग्रेजी में बोलूं और ज्ञानी जी को समझाने के लिए मैं उर्दू में बोलूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, सबोर्डिनेट अफसरों की बात हो रही थी। मैं कह रहा था कि उन सबोर्डिनेट आफिसर्स को नजरबन्दी का हक नहीं दिया जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now only you are speaking on the amendment.

श्री जी० एम० बनातवाला: मैं कभी भी इस एवाम के अन्दर प्वाइंट से बाहर जा कर नहीं बोला हूं। मैं कह रहा था कि इन सबोर्डिनेट अफसरान को ये हकूक न दिये जाएं क्योंकि उन्होंने इस हकूक का इस्तेमाल आक्लयतों के खिलाफ इस तरह से किया है जिसको कभी अविलयतों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।

ख्वाब में भी न सोचा था हमने कभी
कि यह आलम भी चमन पर गुजर जाएगा।
बागवां छीन लेंगे लिबासे बहार,
और फूलों का चेहरा उतर जाएगा।

मेरे कहने का मक्सद यह है कि सबोर्डिनेट आफिसर्स ने इस पावर का दबाव में आकर अन्धाधुन्ध इस्तेमाल किया है। कम से कम यह पावर, यह अख्तियार इन मातहत और सबोर्डिनेट अफसरान को न दिया जाए।

[شری جی - ایم بنات والا]

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - میری ترمیم کا مقصد صاف ظاہر ہے - کہ بل میں مرکزی حکومت کو نظر بندی کا اختیار دیا گیا ہے -

اس بل کے اندر نظربندی کا اختیار ریاستی حکومت کو بھی دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نظر بندی کا اختیار ریاستی حکومت کے چھوٹے موٹے اور ماتحت افسران کو بھی دیا جائے - یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے -

ڈپٹی اسپیکر صاحب جب انسان کی آزادی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسکی آزادی کے سوال کو ماتحت افسران کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا انسانی آزادی کا مذاق اڑانے کے برابر ہے

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں نے بار بار اس ایوان میں کہا ہے کہ ماتحت جو چھوٹے موٹے افسران ہوا کرتے ہیں وہ مقامی دباوے کے اندر آیا کرتے ہیں اور سیاسی دباو کا بھی ان پر بہت کچھ اثر ہوا کرتا ہے - لہذا میری یہ ترمیم ہے کہ کم سے کم ان ماتحتی افسران کو یہ حق نہیں ہونا چاہئے -

یہ حق ماتحتی افسران کو پہلے حاصل تھا اور اس کا نتیجہ ایک نئے ظلم و ستم میں سرکار کی طرف سے ہندوستان کے اندر دکھائی دیا - گیانی جیل سنگھ جب اپنی جوابی تقریر کر رہے تھے تو انکا نظر کرم مجھ پر بھی رہا اور چند باتیں جو میں نے کہی تھیں انکا بھی انہوں نے ذکر کیا - انہوں نے اقلیتوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ نظر بندی کا قانون اقلیتوں کی جان مال اور انکی حفاظت کے لئے ہے -

وہ کیسے اقلیتوں کے دل کی کسک کو سمجھ سکتے ہیں - گذشتہ دنوں میں نظر بندی کے قانون کا استعمال کر کے ان اقلیتوں پر نئے نئے ظلم اور ستم ڈھائے گئے ہیں کہ کوئی انکی مثال نہیں ملے گی (انٹرپشن) ڈپٹی اسپیکر صاحب میں کہہ رہا تھا -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banatwalla, I would very much like you to speak on the amendment. You have already made the speech.

شری جی - ایم - بنات والا : آپ کو سمجھانے کے لئے میں انگریزی میں بولوں اور گیانی جی کو سمجھانے کے لئے میں اردو میں بولوں -

ڈپٹی اسپیکر صاحب - سب آرڈینیٹ افسروں کی بات ہو رہی

ڈوی - میں کہہ رہا تھا کہ ان
سب آرڈینیٹ افسرس کو نظر بندی
کا حق نہیں دیا جائے -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now only you are speaking on the amendment.

شری جی - ایم - بنات والا :

میں کبھی بھی اس ایوان کے اندر
پرائیوٹلی سے باہر جا کر نہیں بولا
ہوں - میں کہہ رہا تھا کہ کہ ان
سب آرڈینیٹ افسران کو یہ حقوق
نہ دیئے جائیں کیونکہ انہوں نے
اس حقوق کا استعمال اقلیتوں کے
خلاف اس طرح سے کیا ھے جس
کو کبھی اقلیتوں نے خواب میں
بھی نہیں سوچا تھا -

خواب میں بھی نہ سوچا تھا ھم نے کبھی
کہ یہ عالم بھی چمن پر گزر جائیگا -

باغباں چھین لیں گے لباس بہار
اور پھولوں کا چہرہ اتر جائے گا -

میرے کہنے کا مقصد یہ ھے کہ
سب آرڈینیٹ آفیسرس نے اس پاور
کے دیار میں آ کر اندھا دھند استعمال
کیا ھے - کم سے کم یہ پاور یہ اختیار
ان ماتحت اور سب آرڈینیٹ افسران
کو نہ دیا جائے -]

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"Page 1, line 9,—

omit 'or by an officer subordinate to a State Government" (2)

The Lok Sabha divided:

Division No. 25]

AYES

20.53 hrs.

Acharia, Shri Basudeb
Agarwal, Shri Satish
Balanandan, Shri E.
Banatwalla, Shri G. M.
Barman, Shri Palas
Bhattacharyya, Shri Sushil
Biswas, Shri Ajoy
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chatterjee, Shri Somnath
Chaturbhuj, Shri
Chaudhary, Shri Motibhai
Chaudhuri, Shri Tridib
Chavan, Shri Yeshwantrao ,
Choubey, Shri Narayan
Choudhury, Shri Saifuddin
Dandavate, Prof. Madhu
Dandavate, Shrimati Pramila
Das, Shri R. P.
Ghosh, Shri Niren
Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Giri, Shri Sudhir
Goyal, Shri Krishna Kumar
Gupta, Shri Indrajit
Halder, Shri Krishna Chandra
Hannan Mollah, Shri
Hasda, Shri Matilal
Horo, Shri N. E.
Jatiya, Shri Satyanarayan
Jha, Shri Bhogendra
Kodiyan, Shri P. K.
Kurien, Prof. P. J.
Lawrence, Shri M. M.
Madhukar, Shri Kamla Mishra
Mahata, Shri Chitta
Maitra, Shri Sunil
Mandal, Shri Mukunda
Mandal, Shri Sanat Kumar
Masudal Hossain, Shri Syed
Mehta, Prof. Ajit Kumar
Mhalgi, Shri R. K.
Misra, Shri Satyagopal

Modak, Shri Bijoy
Mohammed Ismail, Shri
Pal, Prof. Rup Chand
Parulekar, Shri Bapusaheb
Pathak, Shri Ananda
Rajan, Shri K. A.
Rajda, Shri Ratansinh
Riyan, Shri Baju Ban
Roy, Shri A. K.
Roy, Dr. Saradish
Roy Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Shastri, Shri Ramavatar
Shejwalkar, Shri N. K.
Surya Narayan Singh, Shri
Swamy, Dr. Subramanian
Unnikrishnan, Shri K. P.
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri Vijay Kumar
Zainal Abedin, Shri

NOES

Abbasi, Shri Kazi Jalil
Ahmed, Shri Kamaluddin
Alluri, Shri Subhash Chandra Bose
Ankineedu Prasad Rao, Shri P.
Appalanaidu, Shri S. R. A. S.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Dr. Rajendra Kumari
Baleshwar Ram, Shri
Behera, Shri Rasabehari
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhagwan Dev, Acharya
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhoi, Dr. Krupasindhu
Birender Singh Rao, Shri
Brar, Shrimati Gurbrinder Kaur
Brijendra Pal Singh, Shri
Buta Singh, Shri
Chakradhari Singh, Shri
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Chavan, Shri S. B.
Chennupati, Shrimati Vidya
Choudhari, Shrimati Usha Prakash
Dabhi, Shri Ajitsinh
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri A. C.
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Dubey, Shri Ramnath
Era Anbarasu, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadgil, Shri V. N.
Gehlot Shri Ashok
Gomango, Shri Giridhar
Jain, Shri Bhiku Ram
Jain, Shri Nihal Singh
Jamilur Rahman, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jha, Shri Kamal Nath
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Kumari
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Malik M. M. A.
Kosalram, Shri K. T.
Krishan Dutt, Shri
Krishna Pratap Singh, Shri
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mallick, Shri Lakshman
Mallikarjun, Shri
Mishra, Shri Ram Nagina
Misra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nagina Rai, Shri
Naidu, Shri P. Rajagopal
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K. S.

Oraon, Shri Kartik
Panday, Shri Kedar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Patil, Shri Chandrabhan Athare
Patil, Shri Vijay N.
Pattabhi Rama Rao, Shri S. B. P.
Pilot, Shri Rajesh
Poojary, Shri Janardhana
Potdukhe, Shri Shantaram
Pullaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Ram, Shri Ramswaroop
Ramamurthy, Shri K.
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri M. S. Sanjeevi
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
eddy, Shri G. Narsimha
eddy, Shri K. Brahamananda
eddy, Shri M. Ram Gopal
eddy, Shri P. Venkata
eddy, Shri T. Damodar
aminuddin, Shri
athe, Shri Vasant
haktawat, Prof. Nirmala Kumari
hankaranand, Shri B.
hanmugam, Shri P.
harma, Shri Chiranji Lal
harma, Shri Kali Charan
harma, Shri Nawal Kishore
harma, Shri Pratap Bhanu
harma, Dr. Shanker Dayal
hastri, Shri Hari Krishna
hiv Shankar, Shri P.
Shivendra Bahadur Singh, Shri
Singh Deo, Shri K. P.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Soren, Shri Hari Har
Stephen, Shri C. M.
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Sukhbuns Kaur, Shrimati
Tapeshwar Singh, Shri
Tariq Anwar, Shri
Tayyab Hussain, Shri
Thungon, Shri P. K.
Tiwari, Shri Narayan Datt
Vairale, Shri Madhusudan
Venkataraman, Shri R.
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vijayaraghavan, Shri V. S.
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Girdhari Lal
Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to the correction, the result* of the division is: Ayes 63. Noes 122.

The motion was negatived

PROF. MADHU DANDAVATE: Before you proceed......

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have an announcement to make. I have to inform the Members that the House will be sitting late. The Minister for Parliamentary Affairs has arranged for the dinner for the Members in Room No. 73, Parliament House.

SEVERAL HON. MEMBERS: No. no.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have made the announcement. That is all. It is left to you.

PROF. MADHU DANDAVATE: Before we began—you check up

*The following Members also required their votes:

AYES: Shrimati Suseela Gopalan, Shri Chitta Basu and Shri Pius Tirkey.

NOES: Shri Virdhi Chander Jain.

from the records—you yourself have already spoken to the Parliamentary Affairs Minister that let us proceed and see how the matter works. When you asked Shri Banatwalla as to how much time he will take, he said that let us proceed and see how this matter works. So, the entire thing is left to the process of the discussion and at a later stage, you were to decide as to whether we would continue upto the end till this ordinance is converted into an act or we should continue tomorrow. I had suggested to the Parliamentary Affairs Minister "all right, let us proceed." Further I had made a request on behalf of the entire Opposition that we would not like to sit up to night but, for some time we may proceed. Tomorrow we are prepared to drop the lunch hour and sit for more time. But let us continue with this tomorrow. They also said we shall consider it. You also said that let us proceed and see how the matters works. You requested me to get the proposal through.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think Prof. Dandavate was not there when I announced in the morning that we shall have to pass this Bill.

PROF. MADHU DANDAVATE: I was there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: These are later things. It is there in the proceedings. These are later things. (*Interruptions*)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इनकी तानाशाही प्रवृत्ति यहीं से शुरू हो गई है । हम लोग एलाऊ नहीं करेंगे । हाउस को नहीं चलने देंगे । ये डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have said certain things. I said later that this Bill must be passed to-day. I have said that. Afterwards you came and told me that you will have a talk with the Parliamentary Affairs Minister and come to some conclusion. I am not in that way. What I announced in the morning of yesterday was.... We are in the middle of voting. (*Interruptions*). After all, all the amendments have got to be voted. I have got to complete the passage of the Bill. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill".

(*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): What is it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Bill will have to be passed, to-day.

SHRI C. T. DHANDAPANI: Mr. Deputy-Speaker, Sir, you take the sense of the House as to whether it should be passed or not to-day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right. Is it the pleasure of the House to continue with this?

(*Interruptions*)

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग अलाऊ नहीं करेंगे, हम हाऊस को नहीं चलने देंगे । चेयर डिक्टेटर नहीं बन सकती, चेयर का यह काम नहीं है ।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Bill will have to be passed. It is not for the minority to say that it will not be passed. Let one man speak on behalf of the Opposition.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, in this House everyone speaks not on behalf of others but on his own behalf. I am drawing your

[Prof. Madhu Dandavate]

attention to the fact that whatever the announcement earlier—you may check up your own announcement from the records of the Lok Sabha—I pointed out to the Minister for Parliamentary Affairs that the entire Opposition is willing to drop the lunch hour.

21 hrs.

We said, we are prepared to accommodate the Government but we cannot sit till late at night. After wards you made this comment. You can check up from the records. When I raised that issue again and spoke on behalf of the entire opposition, the entire opposition was agreed that we are proposing to drop the lunch hour tomorrow. At that time you said that the Home Minister will reply; only all the opposition members I will allow; they are not keen that the members of the ruling party should speak; let us proceed further and see how it works. This is what you said. So, we took it for granted that that assurance having come from you, you will also persuade the treasury benches to cooperate with the opposition. Now the Treasury benches are taking the position that they can carry on the work without the cooperation of the opposition. And I can assure you that we cannot carry on the work of this House without the cooperation of the opposition.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: We are seeing everyday that they are having only confrontation with the opposition. Last Friday you know how a motion on Private Members' Bill was scutted. We have seen how the resolution on half-an-hour discussion was scuttled then. This is the way of their seeking cooperation with the opposition. If I may say so with respect, the Chair should not say that the Bill should be passed. It is not the Chair's job. It is the pleasure of the House....

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Deputy Speaker, sir, let the tempers be cool. I will explain the Government's position. In the Busines Advisory Committee 7 hours were allotted. (*Interruptions*) Please hear me. Please give me the benefit of listening to me. I have said it time and again that the Government is not having in mind any idea of confrontation with the opposition We have been accommodating them to the maximum extent possible. 7 hours were allotted by the Business Advisory Committee. Now it was on your discretion that you have raised it to 8 hours for all the three stages. But the first stage itself has taken 7½ hours. In the morning when you asked me I said, Sir, we are prepared to accommodate the opposition provided this Bill is passed today. I have said it in no uncertain terms. Sir, where was the provocation to say that we had confrontation with the opposition? they threaten us saying, you will not be able to carry on your business. They are in a threatening mood in spite of the fact that Government has gone to the farthest extent and has been accommodating them, cooperating with them etc. So I would again appeal to the hon. Members to cooperate with the Government. We have been accommodating them to the maximum extent possible.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): I feel that with all this noise etc. nobody is getting any pleasure out of it. Now it is more than 9'O clock. Really speaking, there is a certain burden of work on the members. Tomorrow again we are meeting again in the Consultative Committee, at 9 O' clock. It is a question of human consideration. You want some time to be given to the members to think and work properly. I would request the Home Minister and

Parliamentary Affairs Minister about this. It is not a question of confrontation. It is a question of accommodation towards each other. We have gone through many occasions like this in the past many years and many times we have accommodated the Government. We are making a request that we are prepared to give up the lunch hour tomorrow and accommodate you to pass the Bill. Of course we will continue to oppose it; there is no doubt about it. But this is an occasion when we can show some goodness in agreeing to our proposal so that we can get through this Bill I would therefore request the Parliamentary Affairs Minister and the Home Minister, let us make a good gesture; let us not have an atmosphere of confrontation; if you don't do that, the only thing that we can do is to walk out.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Sir, You sitting in the Chair, please kindly do not try to reflect the steam rollering attitude. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I reflect the majority opinion of the House only. I cannot reflect the minority opinion. Mr. Indrajit Gupta, I make it very clear, I reflect the majority opinion of the House; I do not reflect the minority opinion of the House.

Now, the hon. Minister of Parliamentary Affairs, on the appeal made by Shri Yeshwantrao Chavan.

SHRI C. T. DHANDAPANI: The remarks of Shri Indrajit Gupta should be expunged from the proceedings.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, we never wanted any confrontation; you have seen it; very amicably we have been carrying on the business of the House. Shri Yeshwantrao Chavan has expressed his view, and I am seeing the sentiments of the hon. Members of the Opposition also. We always respect their sentiments. As a matter of fact, we have also our limitations, and Rajya Sabha has not sufficient business. So, when we fix some time in the Business Advisory Committte for any particular Bill, we have also to keep in view the time which we have alrady taken. In this particular case, what was the time which had been allotted, that has been more than exhausted. But still Shri Chavan Saheb has made an appeal, I do not want that there should be any difference on such small issues or small things. I treat them as small things in the sense that there is no question of any confrontation or anything of that sort. We always accommodate them and we always try to adjust. But I was really pained to hear from some of the hon. Members of the Opposition when they said "No, the House cannot run". I have never said like this at any time. We have got 2/3 majority in the House. I have never said anything in that tone or temper. I am also a young man. But I have never said like that. Therefore, keeping all these things in view I am making one request, Tomorrow

[Shri Bhishma Narain Singh]

we may dispense with lunch hour and Calling Attention. You can postpone the Calling Attention also scheduled for tomorrow. We should try and see that tomorrow by 2 'O clock this Bill should be disposed of.

SOME HON. MEMBERS: We will cooperate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The views expressed by you will be communicated to the Speaker and things will be settled. (*Interruptions*) If the House agrees in regard to Calling Attention, Notice under Rule 377 and all that.. (*Interruptions*).

Now, the question is:

"That Clause, 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

21.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 16, 1980/Agrahayana 25, 1902 (Saka).

GMGIPND—L—3042LS—29-1-81—890